




मध्यप्रदेश शासन



श्री शिवराज सिंह चौहान  
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश



श्री हरदीप सिंह डंग  
मंत्री, पर्यावरण विभाग



# प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

पर्यावरण विभाग





मध्यप्रदेश शासन

# प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020-21

पर्यावरण विभाग





मध्यप्रदेश शासन

## पर्यावरण विभाग विभागीय संरचना

श्री हरदीप सिंह डंग  
मंत्री, पर्यावरण विभाग

श्री मलय श्रीवास्तव

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग,  
अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं महानिदेशक, एफ्को

श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल

कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को)

श्री राकेश कुशरे

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग



## अनुक्रमणिका

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1–24
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को)	25–56







म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड




## भाग – एक

### 1. संरचना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा सितम्बर 1974 में राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण की दृष्टि से केन्द्रीय अधिनियम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। राज्य में कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में जल स्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जनचेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा संपादित किये जाते हैं। बोर्ड का प्रशासनिक ढाँचा निम्नानुसार है:—

#### मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संगठन संरचना



आंचलिक कार्यालय	06	उप क्षेत्रीय कार्यालय	01
क्षेत्रीय कार्यालय	18	क्षेत्रीय प्रयोगशाला	09

## राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों के तहत प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन करता है :-

- 1 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- 2 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- 3 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत,
  - 3.1 परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016
  - 3.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 2000
  - 3.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
  - 3.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
  - 3.5 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
  - 3.6 बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001
  - 3.7 ई वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
  - 3.8 फलाई ऐश नोटिफिकेशन 1999 यथा संशोधित 2003, 2009 एवं 2016
  - 3.9 केमिकल एक्सीडेन्ड (इमरजेन्सी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एवं रिस्पॉंस) नियम, 1996
  - 3.10 ध्वनि प्रदूषण (रेग्यूलेशन एवं कन्ट्रोल) नियम, 2000
  - 3.11 अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016
4. मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004
  - 4.1 मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2006

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल स्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों का प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुये पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जन-चेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला है। क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ प्रयोगशालायें भी कार्यरत हैं।

### राज्य बोर्ड के कार्य—

- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंध विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना।
- मल या व्यवसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिये संकर्म एवं संयंत्रों का निरीक्षण करना।

- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिये ऐसे अन्तरालों पर जैसे आवश्यक समझे ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण करना।
- बहिःस्त्रावों के निस्सारण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की गुणवत्ता के लिये बहिःस्त्रावों मानक अधिकथित करना, उनमें उपान्तरण करना या उन्हें बातिल करना।
- केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिये अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक संयंत्रों और मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा अन्य किसी स्रोत से जो जहाज अथवा वायुयान न हो, वातावरण में वायु प्रदूषकों के निस्त्राव के लिये मानक अधिकथित करना।
- मल एवं व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया की मितव्ययी और विश्वसनीय पद्धतियां निकालना।
- कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के उपयोग की पद्धतियां विकसित करना।
- भूमि पर मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के व्ययन की दक्ष पद्धतियां विकसित करना।
- सरिताओं या कुओं में अपशिष्ट के निस्सारण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के आदेश करना, उसमें उपान्तरण करना या उसे वापस लेना।
- राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के परिसर अथवा अवस्थान के बारे में सलाह देना जिसके चलाये जाने से वायु प्रदूषण अथवा सरिता या कुएं का प्रदूषण संभाव्य है।
- सरिता या कुएं से जल के नमूनों का अथवा मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के नमूनों का विश्लेषण कराने के लिये प्रयोगशालाएँ स्थापित करना एवं ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें या उसे समय-समय पर सौंपे जायें।

### आंचलिक कार्यालयों की स्थापना—

मध्यप्रदेश में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों पर निगरानी तथा सहयोग हेतु वर्ष 2017 में 06 नये आंचलिक कार्यालयों कमशः भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, इन्दौर व उज्जैन की स्थापना की गई है।

### क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व—

- उद्योग एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के निस्त्राव एवं उत्सर्जन की मानिट्रिंग।
- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मानिट्रिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य।
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जाँच कार्य।
- प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मानिट्रिंग।
- पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग।
- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना तथा सम्मति का नवीनीकरण करना।
- वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति/सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना। प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही।

## विशिष्ट उपलब्धियाँ

### जल प्रदूषण नियंत्रण

- प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों/सहायक नदियों, तालाबों एवं भू-जल स्रोतों से 4850 नमूने एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया, ताकि नदियों की गुणवत्ता पर निगरानी रखते हुए भविष्य में प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएँ तैयार की जा सकें।
- प्रदेश में 22 प्रदूषित नदी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गई हैं जो मार्च, 2021 तक क्रियान्वित की जाना है।
- नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता का मापन तथा प्रदूषण के स्रोतों पर निगरानी हेतु पूर्व में निर्धारित 31 मापन बिन्दुओं को बढ़ाकर 50 किया गया है।
- जन-सामान्य के अवलोकन हेतु जल गुणवत्ता की जानकारी बोर्ड की वेब-साइट पर प्रदर्शित की जा रही है।
- प्राकृतिक जल स्रोत गुणवत्ता सूचकांक प्रति माह वेब साइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि जन-सामान्य प्राकृतिक जल स्रोतों की गुणवत्ता से भिन्न हो सके।
- विभाग की तकनीकी एवं वैज्ञानिकी क्षमता के सुदृढीकरण हेतु आधुनिक तकनीकी के विषय ज्ञान एवं इसके माध्यम से प्रभावी कार्य संपादन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।
- औद्योगिक प्रदूषण की सतत् निगरानी, प्रभावी नियंत्रण तथा जन-सामान्य को जानकारी उपलब्ध हो, इसलिये बोर्ड की वेब-साइट पर जानकारी प्रदर्शित की जा रही है।
- विभाग के अंतर्गत कार्यरत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला की गुणवत्ता में उन्नयन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण हेतु (एन.ए.बी.एल.)(डी.एस.टी., भारत सरकार) से आई.एस.ओ/आई.ई.सी.17025:2017 (अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली) के अंतर्गत जल और दूषित जल एवं परिवेशीय वायु पैरामीटर्स के लिए ऐक्रिडिटेशन का नवीनीकरण एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आंकलन श्रृंखला 18001:2007 के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया गया।
- विभाग के अंतर्गत कार्यरत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला, भोपाल में माईक्रो-बायोलॉजी लैब की स्थापना कराई गई।
- प्रदेश के अत्यधिक प्रदूषणकारी श्रेणी के समस्त उद्योगों में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर से बाहर शून्य निस्त्राव की स्थिति सुनिश्चित की गई हैं।
- प्रदेश में स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्रों की निष्पादन क्षमता पर प्रतिदिन निगरानी हेतु "एस.टी.पी. मॉड्यूल" तैयार किया गया है। उपरोक्त दोनों ही मॉड्यूल को पर्यावरण निगरानी केन्द्र द्वारा विकसित EnvAlertApp से एकीकृत (इन्टीग्रेट) किया गया है जो कि डेस्कटॉप एवं एन्ड्रॉइड प्लेटफार्म दोनों पर ही उपलब्ध है।

### वायु प्रदूषण नियंत्रण

- वायु प्रदूषणकारी ठोस ईंधन उपयोग करने वाले उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर की स्थापना एवं स्टील मेल्टिंग शॉप में इंडक्शन फर्नेस से होने वाले वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों में सेकेण्ड्री फ्यूम एक्सटेक्शन सिस्टम की स्थापना कराई गई।
- प्रदेश में परिवेशीय वायु गुणवत्ता की सतत् निगरानी हेतु बोर्ड के द्वारा दस स्थानों, पीथमपुर, मंडीदीप,

सिंगरौली, देवास, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, एवं कटनी, तथा बोर्ड के अतिरिक्त उद्योगों के द्वारा नौ स्थानों दमोह, ग्वालियर, सतना, रतलाम, सागर, नीमच, मैहर, अनूपपुर में उपकरण स्थापित किये गए हैं। जिसके माध्यम से संबंधित क्षेत्र की वायु गुणवत्ता अविरत प्राप्त होती है। उक्त गुणवत्ता को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है, जिससे प्रदेश के साथ ही इसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के URL के माध्यम से व्यापक रूप से देखा जा सकता है। उक्त CAAQMS द्वारा प्रदूषकों का मापन कार्य किया जाता है।

- औद्योगिक प्रदूषण की सतत निगरानी हेतु पर्यावरण निगरानी केन्द्र में सेन्ट्रल सर्वर एप्लीकेशन (सी.एस.ए.) प्रारंभ की गई है, जिससे बोर्ड की वेब-साईट पर प्रदेश के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की जानकारी जन-सामान्य को उपलब्ध रहे। परिवेशीय वायु गुणवत्ता की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख शहरों में डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना भी कराई गई है।
- बोर्ड द्वारा 10525 वाहनों का उत्सर्जन मापन कर आंकड़े क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये, ताकि परिवहन विभाग वाहनों की फिटनेस पर निगरानी रख सके।
- शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु, ध्वनि मापन के 10226 नमूने एकत्रित कर परिणाम संबंधित जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये।

### ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

- ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश की समस्या के निराकरण एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कराया गया।
- उद्योगों से उत्पन्न होने वाले हजार्ड्स वेस्ट डिस्पोजल की जी.पी.एस. आधारित ट्रेकिंग हेतु सॉफ्टवेयर तैयार कर लागू किया गया है।
- प्रदेश के रतलाम औद्योगिक क्षेत्र में चिन्हित 04 अवैधानिक डम्प साईट्स में से 01 साईट का लगभग 789 टन अपशिष्ट का सुरक्षित डिस्पोजल पीथमपुर स्थित कॉमन फेसिलिटी में कराया गया।
- हजार्ड्स वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु प्रदेश का इंटीग्रेटेड एक्शन प्लॉन तैयार किया गया है।
- प्रदेश का 49826 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा को-प्रोसेसिंग हेतु सीमेंट उद्योगों को भेजा गया।
- प्लास्टिक कैंरी बैग के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु नगरीय निकायों के समन्वय से 2750 जन-जागृति कार्यक्रम, 8245 छापामार कार्यवाही करते हुए 15.48 मीट्रिक टन कैंरी बैग जप्त किये गये तथा रू 24.85 लाख का जुर्माना किया गया।
- सिंगल यूज प्लास्टिक को वर्ष 2022 तक फेस आउट करने के परिप्रेक्ष्य में म.प्र.शासन द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों में आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान दिनांक 04 जून 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने एवं इसके विकल्पों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्ययोजना लागू की गई है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट रजिस्ट्रेशन तथा ई-वेस्ट प्राधिकार के आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु ऑनलाईन व्यवस्था प्रारंभ की गई।
- कोविड-19 संक्रमित अपशिष्ट का उपयुक्त विधि से डिस्पोजल करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा वेस्ट के संग्रहण हेतु पृथक वाहन एवं अन्य व्यवस्थाएँ की गई है तथा **कोविड-19 संक्रमित अपशिष्ट की जानकारी ऐप के माध्यम से**

रियल टाइम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को प्रेषित की जा रही है। दिनांक 25/03/2020 से 31/12/2020 तक प्रदेश में स्थित सीबीडब्ल्यूटीएफ के माध्यम से कुल 2045.1 टन कोविड वेस्ट का निपटान किया गया है।

### जन-जागृति कार्यक्रम

- विभाग के अंतर्गत कार्यरत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन-सामान्य को पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से पूरे प्रदेश में जन-जागृति कार्यक्रम जैसे विद्यालयों में चित्रकला, निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं, नुक्कड़ नाटक, जन जागरूकता रैली का आयोजन, विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों पर कार्यशालाएँ, वाहन प्रदूषण मापन एवं वेबिनार के माध्यम से व्याख्यानों का आयोजन, दूरदर्शन/रेडियो के माध्यम से पर्यावरणीय विषय पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।
- प्रदेश में आम नागरिक जनों द्वारा पर्यावरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा सुझाव को शासन तक अविलम्ब पहुँचाने हेतु "सिटीजन रिपोर्टर" मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से शिकायत/सुझाव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जा सकते हैं। इसमें शिकायत अन्य विभाग से संबंधित होने की स्थिति में स्वतः रिडायरेक्ट होने की व्यवस्था है।

### नर्मदा नदी प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये प्रयास

नर्मदा नदी को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु बोर्ड द्वारा सार्थक कार्यवाही की गई है। नर्मदा नदी के कैचमेंट में स्थापित 11 मुख्य जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा सक्षम दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना की है तथा इनमें सभी उद्योगों में "शून्य निःस्त्राव" की स्थिति है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत होशंगाबाद में कार्यरत मेसर्स सिक्यूरिटी पेपर मिल, का पूर्व में 16 हजार कि.ली./दिन उपचारित जल नर्मदा नदी में निस्सारित होता था, उसकी मात्रा में कमी हुई है तथा इस उपचारित निस्त्राव को रिसायक्लिंग/वृक्षारोपण में उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी की सहायक नदी गौर व परियट के किनारे स्थापित डेयरी उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की है।

अमरकंटक से अलीराजपुर के बीच नर्मदा नदी जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग 50 बिन्दुओं पर की जाकर निगरानी रखी जा रही है। वर्ष 2019 में कराई गयी जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के परिणामों के अनुसार नदी जल गुणवत्ता भारतीय मानक-2296 के अनुसार 'ए' 'बी' तथा सी श्रेणी में है। नदी की जल गुणवत्ता मापन को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

नर्मदा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले शहरों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया तथा ए.क्यू.आई. को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इन शहरों में ध्वनि स्तर मापन तथा वाहनों का प्रदूषण मापन का कार्य भी किया जा रहा है।

मूर्ति विसर्जन के लिये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये, नगरीय निकायों के माध्यम से नर्मदा नदी के तटों पर पृथक मूर्ति विसर्जन कुण्डों की स्थापना कर मूर्ति विसर्जन किया गया है।

### पर्यावरण निगरानी केन्द्र की स्थापना (इनवायरोमेन्ट सर्विलेंस सेन्टर-ESC)

प्रदूषणकारी उद्योगों की सतत् रूप से निगरानी हेतु पर्यावरण निगरानी केन्द्र की स्थापना की गई है। सतत् निगरानी से प्रदूषण की स्थिति निर्मित होने के पूर्व ही उसे नियंत्रण करने एवं उद्योगों को प्रदत्त निर्धारित प्रदूषण के मापदण्डों को पालन करने में सहायता प्राप्त होती है।



सतत् निगरानी योजना के प्रथम चरण में 17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी उद्योगों को चुना गया है। एवं सभी उद्योगों का सतत् निगरानी कार्य प्रारंभ हो चुका है। लाल श्रेणी में चिन्हित उद्योगों को भी सतत् निगरानी के दायरे में लाए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अन्तर्गत उद्योगों द्वारा सतत् स्रोत उत्सर्जन मापन उपकरण (CEMS), सतत् दूषित जल गुणवत्ता मापन उपकरण (CEQMS), सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन उपकरण (CAAQMS), आई.पी.पी.टी.जेड कैमरा आदि स्थापित किये जाते हैं जिनके माध्यम से ESC को अविरत विश्लेषण परिणाम प्राप्त होते हैं जिससे प्रदूषण की स्थिति की निगरानी लगातार संभव हो पाती है।

उद्योगों के अतिरिक्त कामन बायोमेडीकल वेस्ट, नगरीय अपशिष्ट, औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट, औद्योगिक निस्त्राव आदि उपचारित करने वाली फेसिलिटिस से होने वाले प्रदूषण की भी सतत् निगरानी इस केन्द्र द्वारा की जाती है।

प्रदेश में वर्तमान में 96 अति प्रदूषणकारी उद्योगों में से सभी संचालित उद्योगों द्वारा सतत् निगरानी उपकरण स्थापित कर लिए गये हैं इनके अतिरिक्त 98 अन्य उद्योगों द्वारा भी सतत् निगरानी उपकरण स्थापित किये गये हैं। कुल 271 स्रोत मॉनिटरिंग उपकरण 127 सतत् परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग उपकरण, 68 सतत् दूषित निस्त्राव मापक उपकरण एवं 169 आई.पी.केमरे उद्योगों द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं।

प्रदेश में आम नागरिकजनों द्वारा पर्यावरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा सुझाव को शासन तक अविलम्ब पहुँचाने हेतु "सिटीजन रिपोर्टर" मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से शिकायत/सुझाव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जा सकते हैं। इसमें शिकायत अन्य विभाग से संबंधित होने की स्थिति में स्वतः रिडायरेक्ट होने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्रों की निष्पादन क्षमता पर प्रतिदिन निगरानी हेतु "एस.टी.पी. मॉड्यूल" तैयार किया गया है। उपरोक्त दोनों ही मॉड्यूल को पर्यावरण निगरानी केन्द्र द्वारा विकसित EnvAlertApp से एकीकृत (इन्टीग्रेट) किया गया है जो कि डेस्कटॉप एवं एन्ड्रॉइड प्लेटफार्म दोनों पर ही उपलब्ध है।

प्रदेश में परिवेशीय वायु गुणवत्ता की सतत् निगरानी हेतु बोर्ड के द्वारा दस स्थानों, पीथमपुर, मंडीदीप, सिंगरौली, देवास, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, एवं कटनी, तथा बोर्ड के अतिरिक्त उद्योगों के द्वारा नौ स्थानों दमोह, ग्वालियर, सतना, रतलाम, सागर, नीमच, मैहर, अनूपपुर में उपकरण स्थापित किये गए हैं। जिसके माध्यम से संबंधित क्षेत्र की वायु गुणवत्ता अविरत प्राप्त होती है। उक्त गुणवत्ता को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है जिससे प्रदेश के साथ ही इसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के URL के माध्यम से व्यापक रूप से देखा जा सकता है। उक्त CAAQMS द्वारा प्रदूषकों का मापन कार्य किया जाता है।

कोविड-19 महामारी के समय में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी के महत्वपूर्ण कार्य के अतिरिक्त इसी अवधि में प्रदेश की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की सतत् निगरानी कर विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की गई जिसे संदर्भ हेतु वेबसाइट <https://erc.mp.gov.in> पर उपलब्ध कराया गया है।

पर्यावरण निगरानी केन्द्र के द्वारा उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण हेतु चेतावनी संदेश सेवा प्रारंभ की गयी है, जिसकी सहायता से उद्योगों द्वारा निर्धारित मानक से अधिक प्रदूषण करने पर स्वतः चेतावनी संदेश संचारित हो जाता है। प्रदूषण नियंत्रण नहीं होने की स्थिति में चेतावनी संदेश के उच्च स्तर पर इस्केलेशन मेट्रिक्स की व्यवस्था है।

प्रदेश में वायु गुणवत्ता की सतत् निगरानी व्यवस्था में आंकड़ों की गुणवत्ता एवं यथार्थता को सुनिश्चित करने हेतु उपकरणों की कार्य प्रणाली की जाँच हेतु "रिमोट केलिब्रेशन चेक" व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से निर्धारित आवर्ती में पर्यावरण निगरानी केन्द्र से इसे उत्प्रेरित कर जाँच सुनिश्चित की जाती है।

## आपात अनुक्रिया केन्द्र (इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं परिस्थितियों में उद्योगों, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर की स्थापना भारत शासन द्वारा की गई है। जिसका संचालन प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। आपात अनुक्रिया केन्द्र, राज्य आपदा समूह के साथ समन्वय के अलावा भारत सरकार द्वारा बनाये गये सेन्ट्रल क्राइसिस ग्रुप अलर्ट सिस्टम से सतत् सम्पर्क रखता है। इस केन्द्र द्वारा शासकीय, अर्ध-शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामान्य नागरिक जनों को भी तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन व अन्य प्रदूषण स्रोत से किसी प्रकार की आपात स्थिति निर्मित न हो इस हेतु उद्योगों की सतत् निगरानी का कार्य आपात अनुक्रिया केन्द्र द्वारा पर्यावरण निगरानी केन्द्र के माध्यम से संपादित किया जाता है।

## भाग-दो

### बोर्ड के वित्त एवं लेखे

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रमुख रूप से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सम्मति व सम्मति नवीनीकरण तथा विभिन्न नियमों के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले प्राधिकार एवं पंजीयन तथा उनके नवीनीकरण से प्राप्त होने वाली शुल्क, जल व वायु गुणवत्ता मापन एवं वाहन प्रदूषण मापन से प्राप्त होने वाली राशि आय के प्रमुख साधन है। राज्य शासन से माँग संख्या-071 (नवीन माँग संख्या-57) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष क्रमांक 2215, स्कीम क्रमांक-8049 के तहत विकास एवं वैज्ञानिक कार्यों हेतु अनुदान प्राप्त होता है।

बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा -40 उपधारा 7 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 36 की उपधारा 7 की अपेक्षा अनुसार वर्ष 2018-19 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन पटल पर रखे जाने हेतु पर्यावरण विभाग मध्यप्रदेश शासन के माध्यम से विधानसभा सचिवालय को प्रस्तुत की गई है। बोर्ड के वर्ष 2019-20 के लेखों का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है तथा वार्षिक लेखा प्रतिवेदन माननीय विधानसभा पटल पर रखे जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

राज्य शासन से वर्ष 2019-20 में माँग संख्या-071 के अन्तर्गत विभिन्न शीर्ष मदों में रूपयें 1391.24 लाख अनुदान प्राप्त हुआ है व बोर्ड की उक्त मद के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान राशि रू. 551.76 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है। प्राप्त अनुदान का उपयोग सर्वे एवं मॉनिटरिंग, अनुसंधान एवं विकास, संस्थागत सृदुद्धीकरण, राज्यस्तरीय पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरण प्रशिक्षण / कार्यशाला / जन-जागृति / सूचनाओं का आदन-प्रदान, ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम आदि कार्यों हेतु किया जाता है।

## भाग-तीन

### राज्य योजनायें

प्रदेश में विकास को पर्यावरणीय अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में संतुलित रखने के अभिप्राय से पर्यावरण नीति बनाई गई है तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की महत्वपूर्ण गतिविधियों में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, घरेलू प्रदूषण नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, वाहन प्रदूषण मापन, जल स्रोतों की गुणवत्ता मापन व निगरानी, परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जैव अनाशय एवं अपशिष्ट, ई-वेस्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सतत कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित प्रमुख गतिविधियों एवं उपलब्धियों की अद्यतन जानकारी नीचे दी गई है :-

### औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण

प्रदेश को औद्योगिक प्रदूषण के खतरे से बचाने के उद्देश्य से विशेष कदम उठाते हुए राज्य में आने वाले सभी नये उद्योगों को पूर्ण प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लगाने के उपरांत ही उत्पादन की अनुमति दी जाती है। वर्तमान में वृहद श्रेणी के 775, मध्यम श्रेणी के 1,543 एवं लघु श्रेणी के 23,010 उद्योग/संस्थान/खदानों बोर्ड से सम्मति प्राप्त कर स्थापित हैं। सभी उद्योगों को अधिकाधिक वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना शर्त के रूप में निर्देशित किया गया। इस वर्ष निम्नांकित उद्योगों/खदानों द्वारा 50 हजार से अधिक वृक्षों का रोपण किया गया :-

क्रमांक	उद्योग का नाम
1.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. सेल्दा, जिला खरगोन
2.	मेसर्स श्री सिंगाजी थर्मल पॉवर स्टेशन, ग्राम दोंगलिया जिला खण्डवा
3.	मेसर्स एस.ई.सी.एल., सोहागपुर एरिया, जिला शहडोल
4.	मेसर्स एस.ई.सी.एल., हसदेव एरिया, जिला अनूपपुर
5.	मेसर्स एस.ई.सी.एल., जोहिला एरिया, जिला उमरिया
6.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. विन्ध्याचल जिला सिंगरौली
7.	मेसर्स जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, निगरी जिला सिंगरौली
8.	मेसर्स एन.सी.एल. अमलोरी प्रोजेक्ट जिला सिंगरौली
9.	मेसर्स जे.पी. पॉवर वेंचर्स लि., अमिलिया नार्थ कोल माईन जिला सिंगरौली
10.	मेसर्स एन.सी.एल. जयंत प्रोजेक्ट जिला सिंगरौली
11.	मेसर्स एन.सी.एल. प्रोजेक्ट, निगाही जिला सिंगरौली

पूर्व से स्थापित सभी जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषणरोधी व्यवस्था लागू कराने के साथ-साथ 215 उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा जल उपचार संयंत्र तथा 433 उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना/उन्नयन/सुधार कार्य किया गया।

## घरेलू दूषित जल (सीवेज) प्रबंधन

मध्यप्रदेश में 6000 एमएलडी घरेलू दूषित जल (सीवेज) उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 2183.65 एमएलडी सीवेज नगरीय निकायों से उत्पन्न होता है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार 09 शहरों में 634.23 एमएलडी क्षमता के 23 एसटीपी कार्यरत है। प्रदेश में 16.06 एमएलडी सीवेज को 26 एफएसटीपी के माध्यम से उपचारित किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में सीवेज उपचार की कुल क्षमता 794.83 एमएलडी है जो कि नगरीय निकायों से उत्पन्न हो रहे सीवेज का करीब 36.39 प्रतिशत है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत 1111.69 एमएलडी सीवेज उपचार हेतु 82 एसटीपी निर्माणाधीन है तथा 55.40 एमएलडी सीवेज उपचार हेतु 13 एसटीपी प्रस्तावित है। उपरोक्तानुसार समस्त 118 एसटीपी एवं 26 एफएसटीपी क्रियाशील होने की दशा में प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट की कुल क्षमता 1817.38 एमएलडी हो जायेगी, जो कि नगरीय निकायों से उत्पन्न हो रहे सीवेज का लगभग 83 प्रतिशत होगा।

विभिन्न उद्योगों, माइन्स, कॉलोनी, मॉल्स हॉटल्स, मैरिज गार्डन, अस्पतालों आदि द्वारा भी एसटीपी बनाये गये हैं, इसी प्रकार ग्रामों में भी सीवेज का निस्सारण सेप्टिक टैंक तथा सोकपिट्स के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश में घरेलू दूषित जल (सीवेज) के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन हेतु प्रत्येक नगर व ग्राम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, ताकि उपचारित सीवेज का उपयोग वृक्षारोपण/सिंचाई इत्यादि में होकर शुद्ध जल संरक्षित किया जा सके।

## ठोस अपशिष्ट प्रबंधन—

### अ. नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016—

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 बनाये गये थे, नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 को अधिकांत करते हुये भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बनाये गये हैं, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होकर दिनांक 8 अप्रैल 2016 से प्रभावशील हैं।

ये नियम प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, जनगणना आयुक्त द्वारा घोषित जनगणना नगरों, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों, विमानपत्तनों, वायुयान बेस, बन्दरगाह और हारबर रक्षा स्थापनाओं, विशेष आर्थिक जोन, राज्य और केन्द्रीय सरकारों के संगठनों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तीर्थ, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और प्रत्येक घरेलू, संस्थानिक, वाणिज्यिक और किसी भी अन्य गैर-आवासीय ठोस अपशिष्ट जनित्रों पर लागू होंगे। अधिनियम के अंतर्गत घरेलू कचरा संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं डिस्पोजल आदि का निपटान कराना संबंधित नगरीय निकाय का उत्तरदायित्व है। अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा हेतु भूमि के आवंटन के लिये जिला कलेक्टर का उत्तरदायित्व निहित है।।

उक्त नियमों के क्रियान्वयन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास के प्रभारी सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर उपायुक्त, राज्य और संघ क्षेत्र में ग्राम पंचायत या ग्रामीण विभाग के प्रभारी सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड, स्थानीय निकायों और जनगणना नगरों की ग्राम पंचायत तथा शहरी समूहों के पृथक-पृथक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निहित किये गये हैं।

## प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

प्रदेश में कुल 383 नगरीय निकाय संस्थान हैं जिनमें 16 नगर पालिक निगम, 362 नगर पालिका परिषद्/नगर परिषद् एवं 05 छावनी परिषद् हैं। 05 छावनी परिषद् नगरीय प्रशासन विभाग में समाहित नहीं है। 2019-20 की स्थिति में 7980 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है, जिसमें से 7193 मैट्रिक टन प्रतिदिन का संग्रहण हो रहा है। कुल संग्रहित ठोस अपशिष्ट में से 4309.65 मैट्रिक टन/दिन अपशिष्ट, कम्पोस्ट बनाने में तथा 600 मैट्रिक टन/दिन, वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं 2935 मैट्रिक टन मटेरियल रिकवरी हेतु उपयोग किया जा रहा है। जबलपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेसिंग प्लांट 11.5 मेगावाट क्षमता का स्थापित है।

वर्ष 2020-21 की स्थिति में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 110 नगरीय निकायों को 07 क्लस्टर में विभाजित किया जाकर (04 वेस्ट टू कम्पोस्ट, सागर, कटनी, छतरपुर, सिंगरौली एवं 03 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जबलपुर, रीवा, ग्वालियर) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की क्लस्टर आधारित योजना बनाई गई है तथा शेष 268 नगरीय निकायों में विकेंद्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल लागू किया गया है। जबलपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कार्यरत है तथा ग्वालियर व रीवा में प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रदेश के सभी निकायों में आर्गेनिक, इनर्ट प्लास्टिक अपशिष्ट, आदि के प्रभावी एकत्रीकरण, परिवहन एवं उपचार पद्धति की नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है। प्रदेश के 372 निकायों में घरों से कचरा संग्रहण की व्यवस्था संचालित की जा रही है। 276 नगरीय निकायों में घरों से निकलने वाले कचरे को उसके स्रोत पर ही पृथक्कीकृत करने की प्रक्रिया अपनाई है। प्रदेश के डम्प साइट का चयन कर पुरानी डम्प साइट पर उपस्थित कचरे का बायो-रेमेडियेशन प्रक्रिया अंतर्गत बायो-माइनिंग कार्य किया जा रहा है। जिसमें से 50 डम्प साइट में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 343 निकायों में कम्पोस्टिंग सुविधा को जियो टेग किया जा चुका है। सभी 378 निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट से मटेरियल रिकवरी का कार्य किया जा रहा है तथा 256 नगरीय निकायों में 275 स्थायी मटेरियल रिकवरी सुविधा की स्थापना की जा चुकी है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर नगरीय ठोस अपशिष्ट डम्प साइट्स की आसपास जल एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की जाँच की जाती है। वर्ष 2019-2020 में डम्प साइट्स के आसपास के क्षेत्रों के भूमिगत जल गुणवत्ता मापन हेतु 424 एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु 428 नमूनों की जाँच की गई है।

प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु व्यापक जनजागरूकता तथा प्रचार प्रसार हेतु बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वर्कशॉप/इन्टरैक्शन मीट आयोजित की गई हैं, जिसमें प्रदेश के सभी 52 जिले सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नगरीय निकायों में जाकर नियमों के पालन के परिपेक्ष्य में संबंधित नगर पालिका अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई अधिकारी से चर्चा कर समझाईश दी गयी।

## ब. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016

ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या संगठन या प्राधिकरण के अपशिष्ट पर लागू हैं, जो किसी सिविल ढांचे के निर्माण, पुनः प्रतिरूपण, मरम्मत और विध्वंस के फलस्वरूप बिल्डिंग मटेरियल, मलबा और रोड़ी वाले अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। इनके पालन की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकाय की होगी तथा राज्य सरकार का संबंधित विभाग भूमि से संबंधित विभाग संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्टों के प्रबंधन बावत् नीति दस्तावेज तैयार करेगा। उक्त नियमों के क्रियान्वयन हेतु अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता, सेवा प्रदाता और उनके संविदाकारों, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन, भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय रोड़ कांग्रेस, केन्द्रीय सरकार के पृथक-पृथक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निहित किये गये हैं।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से निरंतर समन्वय रखा जा रहा है तथा इन अपशिष्टों के प्रबंधन की प्रभावी कार्यवाही हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

इस नियम में अलग-अलग संस्थानों के निम्नलिखित दायित्व निर्धारित है।

### अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता

प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता स्थानीय निकाय द्वारा यथा निदेशित अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण के लिए उत्तरदायी होगा। 20 टन प्रतिदिन से अधिक अथवा 300 टन प्रतिमाह से अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्थान/ सेवा प्रदाता अपशिष्टों के उचित प्रबंधन की एक कार्ययोजना तैयार कर स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त करेगा तथा अपशिष्टों के निपटान के लिये अधिसूचित सुसंगत संदाय का भुगतान करेगा। संदाय की दर का निर्धारण स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

### सेवा प्रदाता और उनके संविदाकारों के कर्तव्य

ऐसे संस्थान जो नगर में जल, सीवेज प्रबंधन, बिजली, टेलीफोन, सड़के, जल निकास आदि सेवायें प्रदान करते हैं और अपने कार्यकलापों के दौरान विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं उन्हें छः माह के भीतर ऐसे अपशिष्टों के उचित प्रबंधन/चक्रीकरण/पुनर्उपयोग हेतु एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करना है। सेवा प्रदाता ऐसे सभी अपशिष्टों को हटायेंगे एवं कार्य स्थल आवश्यकतानुसार प्रत्येक दिन साफ करेंगे।

### स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य

संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करना, अपशिष्टों के प्रबंधन के पश्चात् अंतिम सफाई की रूपरेखा तैयार करना, परिसंकटमय, विषैले या नाभिकीय अपशिष्ट से संदूषित अपशिष्टों का सुरक्षित निस्सारण, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन, अपशिष्ट प्रबंधन योजना का परीक्षण एवं मंजूरी, अपशिष्टों के उत्पादन संबंधी डाटा बेस तैयार करना, विशेषज्ञों से परामर्श कर प्रसंस्करण सुविधा और सर्वोत्तम संभावित रीति से पुनर्चक्रण हेतु योजना बनाना, अपशिष्टों के भण्डारण, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, पुनर्उपयोग इत्यादि गतिविधियाँ प्रोत्साहित करना, विशेषज्ञ संस्थानों और सिविल सोसाईटीज के माध्यम से शिक्षा एवं संचार को दीर्घकालिक प्रणाली तैयार कर प्रचार-प्रसार करना सम्मिलित है ताकि विध्वंस अपशिष्टों से बनी सामग्री के प्रयोग हेतु पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिल सके।

### राज्य बोर्ड के कर्तव्य

नियमों के पालन की स्थानीय निकायों के साथ मॉनिटरिंग, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा हेतु प्राधिकार देना एवं 31 जुलाई तक वार्षिक प्रतिवेदन/ऑकड़े एकत्र कर राज्य सरकार द्वारा नियत नोडल अधिकरण तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करना है। उक्त अधिनियमों के तहत नगरीय निकायों को बोर्ड से प्राधिकार लेना है तथा संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वयन कराने की मॉनिटरिंग करना तथा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर भेजना है। वर्ष 2018-19 का निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र क्रमांक 660 दिनांक 27/07/2019 द्वारा प्रेषित किया गया।

### प्रदेश में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की वर्तमान स्थिति

नगर पालिक निगम, इंदौर द्वारा 100 टन प्रतिदिन क्षमता का निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्टों के प्रोसेसिंग हेतु संयंत्र/सुविधा स्थापित की गई है, जिसमें प्रतिदिन 60 टन अपशिष्ट प्रोसेस किया जा रहा है। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 333 नगरीय निकायों में हेल्पलाइन शुरू की गई है। अपशिष्ट के संग्रहण एवं

परिवहन हेतु 338 नगरीय निकायों में विशेष वाहन उपलब्ध है एवं 318 नगरीय निकायों में स्थल चिन्हित कर अपशिष्ट के संग्रहण एवं भण्डारण की व्यवस्था की गई है। उज्जैन में 100 टी.पी.डी. तथा जबलपुर में 50 टी.पी.डी. का प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है, भोपाल में 100 टी.पी.डी. का प्लांट प्रस्तावित है।

### परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन

परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 अप्रैल, 2016 से लागू हैं। प्रदेश में अभी तक 2863 उद्योगों को प्राधिकार दिये गये हैं। इन नियमों के तहत परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले सभी उद्योगों को उनके द्वारा जनित अपशिष्टों के सुरक्षित अपवहन की व्यवस्था करनी होती है। प्रदेश के कुछ एक उद्योगों ने स्वयं के परिसर में भस्मक तथा केप्टिव एस.एल.एफ. लगाकर अपशिष्टों के अपवहन की व्यवस्था की है।

मध्यप्रदेश में स्थापित विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले परिसंकटमय अपशिष्टों के अपवहन हेतु कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज व डिस्पोजल फैसेलिटी (सीटीएसडीएफ) का विकास मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा मेसर्स एम.पी. वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, पीथमपुर के मार्फत किया गया है। यह फैसेलिटी पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट क्रमांक 104, सेक्टर-2, पीथमपुर, जिला-धार में स्थापित है। इस डिस्पोजल साईट पर निम्न सुविधाओं का विकास किया गया है :-

- अपशिष्टों के भण्डारण हेतु व्यवस्था।
- अपशिष्टों के सॉलिडिफिकेशन/स्टेबलाइजेशन हेतु व्यवस्था।
- सिक्योर्ड लेण्डफिल सेल।
- लेण्डफिल से उत्पन्न होने वाले लीचेट के उपचार हेतु सोलर एवॉपोरेशन पॉड।
- अपशिष्टों के विश्लेषण कार्यों हेतु प्रयोगशाला।
- अन्य सुविधा जैसे वे ब्रिज, वॉशिंग प्लेटफार्म इत्यादि।
- इंसिनरेटर।

इस सुविधा ने नवम्बर 2006 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया तथा मार्च 2020 तक लगभग निम्नानुसार परिसंकटमय अपशिष्ट का अपवहन किया जा चुका है :-

क्रमांक	विवरण	मात्रा
1	इंसीनरेबल	29971.89 मैट्रिक टन
2	लेण्डफिल (डायरेक्ट तथा आफ्टर ट्रीटमेंट )	289745.65 मैट्रिक टन

संस्था द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय के निर्देशानुसार एस्को एकाउण्ट का संधारण किया जा रहा है जिसमें दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 2.37 करोड़ जमा किये जा चुके हैं।

उक्त फैसेलिटी का समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा नियमों का सुचारु रूप से पालन सुनिश्चित किया जाता है।

उद्योग से निकलने वाले हजार्ड्स वेस्ट प्रबंधन हेतु जीपीएस आधारित ट्रेकिंग सिस्टम एवं परिवहन हेतु ऑनलाईन मेनीफेस्ट सिस्टम लागू किया गया। परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के पालनार्थ मध्यप्रदेश का इन्टीग्रेटेड प्लान भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा गया।

## परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन के तहत प्राधिकार प्राप्त उद्योगों की क्षेत्रवार संख्या

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	कुल उद्योगों की संख्या
1	भोपाल	343
2	इन्दौर	631
3	धार	51
4	उज्जैन	118
5	गुना	86
6	ग्वालियर	337
7	सागर	45
8	सतना	68
9	रीवा	110
10	कटनी	30
11	शहडोल	97
12	सिंगरौली	33
13	जबलपुर	252
14	छिंदवाड़ा	82
15	देवास	128
16	पीथमपुर	264
17	एसईजेड पीथमपुर	40
18	मण्डीदीप	148
	<b>महायोग</b>	<b>2863</b>

### ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वर्ष 2010 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2011 प्रकाशित किये गये थे जिन्हें वर्ष 2016 में संशोधित करते हुये ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 दिनांक 01 अक्टूबर 2016 प्रकाशित किये गये हैं जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रनिक्स अपशिष्ट का पर्यावरण प्रिय तकनीक से अपवहन किया जाना है। प्रत्येक ई-वेस्ट जनरेटर को ई-वेस्ट केवल केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत डिस्मेन्टलर्स/रिसाईकलर्स के माध्यम से ही निष्पादित किया जाना है।

ई-वेस्ट के अंतर्गत अनुपयोगी इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे कम्प्यूटर्स, लेपटॉप टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर्स, मोबाइल फोन, एम.पी.3 प्लेयर्स, सी.एफ.एल. आदि को नियमों में अनुसूची-1 में शामिल किया गया है। ई-अपशिष्टों को उपयुक्त व पर्यावरण प्रिय पद्धति से निष्पादित किया जाना आवश्यक है अन्यथा यह पर्यावरण में घरेलू कचरे के साथ मिलकर भूमि एवं जल को प्रदूषित कर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।



नियम-16 के शेड्यूल-1 में विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के पार्ट्स, स्पेयर्स एवं कन्ज्यूमेबल के साथ ही सी.एफ.एल./बल्ब्स को भी सम्मिलित किया गया है। नियमों में ई-वेस्ट के प्रबंधन संबंधी प्रावधानों को लागू करने में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारियां मुख्य रूप से प्रदेश में ई-वेस्ट इन्वेन्टराइजेशन के कार्य के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मैनुफैक्चरर्स व रिफरबिशर्स को प्राधिकार तथा ई-अपशिष्ट को प्रॉसेस करने वाले डिस्मेंटलर्स एवं रिसाईकलर्स को प्राधिकार दिया जाना शामिल है।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा इन नियमों में दिनांक 22 मार्च 2018 को आंशिक संशोधन किये गये हैं जिसमें मुख्य रूप से प्रोड्यूसर, मैनुफैक्चरर, इंपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, रिफरबिशर्स, डिस्मेंटलर एवं रिसाईकलर्स आदि के दायित्वों में संशोधन किये गये हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1120 “विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर)”- प्राधिकार जारी किये गये हैं जिनके प्रदेश में 270 कलेक्शन सेन्टर कार्यरत हैं।

प्रदेश में अभी तक 01-मैनुफैक्चरर्स, 01-रिसाईकलर्स, 01-डिस्मेंटलर्स, 07-रिफरबिशर्स, डिस्मेंटलर्स एवं रिसाईकलर्स के 09 कलेक्शन सेंटर स्थापित होकर कार्यरत है। इन संस्थाओं द्वारा वर्ष 2019-20 में 387.74 मी.टन ई-वेस्ट का निष्पादन हुआ है।

नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु जिंगल्स प्रसारित किये जाते हैं तथा विगत वर्ष प्रदेश में इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादक, ब्राण्ड स्वामी, आयतकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एवं इनके अधिकृत सर्विस सेन्टर को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ई अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अन्तर्गत विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार प्राप्ति के लिये प्रदेश स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से वैधानिक सूचना का प्रकाशन कराया गया।

पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम के पालनार्थ एवं प्रभावी रूप से नियंत्रण हेतु राज्य स्तरीय सलाहकार समिति एवं जिला स्तर सलाहकार समिति का गठन किया गया। बोर्ड द्वारा रिफरवीसर्स के प्राधिकार हेतु एक्सजीएन के माध्यम से ऑन-लाइन प्राधिकार प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

**ई-वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 संबंधी विभिन्न जानकारी बोर्ड की वेब-साईट <http://www.mppcb.nic.in/ewasteng.htm> पर उपलब्ध है।**

### **बैटरी प्रबंधन एवं हथालन नियम-**

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6,8 एवं 25 के तहत बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001, दिनांक 16 मई 2001 से प्रभावशील है। इनमें दिनांक 04 मई 2010 को यथासंशोधन किया गया है। यह नियम बैटरी व्यवसाय के सभी मैनुफैक्चर, प्रोसेसिंग, सेल्स, पर्चेस एवं बैटरी या उसके कंपोनेन्ट के उपयोग में सम्मिलित समस्त मैनुफैक्चर्स, इंपोर्टर, री-कंडीशनर, असेम्बलर, डीलर, रीसाईकलर्स, आक्शनर, कन्ज्यूमर एवं बल्क कन्ज्यूमर पर लागू होता है। नियम-4 में मैनुफैक्चरर्स, इंपोर्टर, असेम्बलर एवं री-कंडीशनर के उत्तरदायित्व, नियम-7 में डीलर के उत्तरदायित्व, नियम-8 में रीसाईकलर को उत्तरदायित्व, नियम-10 में कन्ज्यूमर/बल्क कन्ज्यूमर के उत्तरदायित्व एवं नियम-11 में आक्सनर के उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। बैटरी डीलर्स को नियम-7 [VII (a)] के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीयन कराना एवं अर्धवार्षिकी रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। लेड एसिड बैटरी के इंपोर्टर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अण्डरटेकिंग देना एवं अर्धवार्षिकी रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करना अनिवार्य है। रिसाईकलर्स को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पंजीयन कराना एवं वार्षिकी रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराना अनिवार्य है। नियमानुसार समस्त मैनुफैक्चरर्स, इंपोर्टर, असेम्बलर, री-कंडीशनर, डीलर, रीसाईकलर्स, कन्ज्यूमर/बल्क

कन्ज्यूमर, आक्सनर का निर्धारित प्रपत्रों में रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराना अनिवार्य है।

अपशिष्ट बैटरीज से निकलने वाले स्केप के पर्यावरण प्रिय तकनीक से पुनः चक्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा “एन्वारमेंटली साउंड रिसाईक्लिंग ऑफ हजारडस वेस्ट” दिशा-निर्देश वर्ष 2010 में बनाये गये हैं, जिनके अनुसार संबंधित रिसाईक्लर में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाये जाते हैं। जिनकी मॉनिटरिंग कर पर्यावरण पर प्रभाव नहीं हो, सुनिश्चित किया जाता है। बैटरी डीलर के रजिस्ट्रेशन हेतु एक्सजीएन के माध्यम से ऑन-लाईन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वर्ष 2019-20 की स्थिति में मध्यप्रदेश में मैनुफैक्चर्स-08, असेम्बलर-03, इम्पोर्टर-02, बल्क कन्ज्यूमर -84, आक्सनर-07, रीसाईक्लर्स-56 कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश स्थित रीसाईक्लर्स द्वारा 30136.06 मेट्रिक टन लेड एसिड बैटरी की रिसाईक्लिंग की गई।

### जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 1998 को जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम 1998 तथा संशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 दिनांक 28 मार्च 2016 को अधिसूचित किये गये हैं, जो उन सभी संस्थाओं पर लागू है जो किसी भी रूप में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भण्डारण, परिवहन, उपचार तथा व्ययन (डिस्पोजल) करते हैं। इन अपशिष्टों को चार श्रेणियों में बाँटा गया है, उनके उपचार की विभिन्न पद्धतियाँ जैसे इन्सीनरेशन, आटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, रसायनिक उपचार, कटिंग, श्रेडिंग तथा भूमि में गहरा गाड़ना आदि विकल्प उल्लेखित हैं।

स्वास्थ्य सेवायें अति आवश्यक होने के कारण अधिकांश चिकित्सालय व निजी नर्सिंग होम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं एवं इनके कचरे के अपवहन व डिस्पोजल की पृथक से व्यवस्था न होने के कारण पूर्व में इनका अपवहन व डिस्पोजल नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ किया जाता था। वर्ष 1998 से निरन्तर सभी चिकित्सा संस्थानों अथवा इनके स्थानीय संगठनों व संबंधित शासकीय विभागों/चिकित्सालयों से पत्राचार, बैठकें इत्यादि आयोजित कर नियमों से अवगत कराया गया तथा अधिकांश चिकित्सालयों में स्टाफ को अपशिष्टों के पृथक्करण व सुरक्षित एकत्रीकरण से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार शहरों में भस्मक विधि पर आधारित अपशिष्ट निपटान व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। निजी क्षेत्रों के साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निपटान सुविधा (सीबीडब्ल्यूटीएफ) द्वारा भस्मक पद्धति पर आधारित संयंत्र स्थापित कर जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संयुक्त उपचार की व्यवस्था की गयी है, जहाँ अस्पतालों से जैव चिकित्सा अपशिष्ट एकत्रित कर उपचार स्थल तक परिवहन किया जाता है एवं उसका विनिष्टिकरण किया जाता है। वर्तमान में निजी क्षेत्र के 12 कॉमन इन्सीनरेटर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 17.8 टन जैव चिकित्सा अपशिष्ट में से 17.2 टन का निष्पादन वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है, जो कि लगभग 96 प्रतिशत है।

शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमित अपशिष्ट का उपयुक्त विधि से डिस्पोजल करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गई है जिसका अंतिम संशोधन 21/07/2020 से प्रभावशील है। मार्गदर्शिका अनुसार सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा वेस्ट के संग्रहण हेतु पृथक वाहन एवं अन्य व्यवस्थायें की गई हैं तथा कोविड-19 संक्रमित अपशिष्ट की जानकारी ऐप के माध्यम से रियल टाइम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को प्रेषित की जा रही है। दिनांक 25/03/2020 से 31/12/2020 तक प्रदेश में स्थिति सीबीडब्ल्यूटीएफ के माध्यम से कुल 2045.1 टन कोविड वेस्ट का निपटान किया गया है।

## जल, वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

प्रदेश की पर्यावरण स्वच्छता बनाये रखने के लिए बोर्ड द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषकों की जांच हेतु जल, वायु, ध्वनि स्तर एवं वाहन उत्सर्जन मापन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये :-

### 1. प्राकृतिक जल स्रोतों की मॉनिटरिंग-

प्राकृतिक जल स्रोतों की मॉनिटरिंग के अंतर्गत प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसकी सहायक नदियों, झीलो, बाँधो, तालाबों, भू-जल स्रोतों तथा नालों से वर्ष 2019-2020 में कुल 6965 तथा 2020-2021 में दिसम्बर माह तक 4850 जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किये गये। विश्लेषण परिणामों के आधार पर भारतीय मानक आई.एस. 2296 के आधार पर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण किया गया है।

### 2. औद्योगिक दूषित जल, चिमनियों के उत्सर्जन व निकटवर्ती परिवेशीय वायु की निगरानी-

औद्योगिक दूषित जल की निगरानी के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों से वर्ष 2019-2020 में कुल 1959 तथा 2020-2021 में माह दिसम्बर तक 1135 औद्योगिक दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये।

चिमनियों के उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के तहत चिमनियों से वर्ष 2019-2020 में 381 तथा वर्ष 2020-2021 में माह दिसम्बर तक 190 एवं औद्योगिक क्षेत्रों/नगरीय ठोस अपशिष्ट अपवहन स्थलों एवं 52 जिलों में परिवेशीय वायु के 2019-2020 में कुल 8054 एवं वर्ष 2020-2021 में माह दिसम्बर, 2020 तक 2007 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये। विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानकों से अधिक होने पर बोर्ड द्वारा उद्योगों को दूषित जल उपचार व्यवस्था एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था प्रभावी बनाये जाने के लिये कार्यवाही की जाती है।

### 3. वाहन उत्सर्जन मापन-

बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख नगरों में क्षेत्रीय प्रयोगशालों के माध्यम से वाहन उत्सर्जन मापन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2019-2020 में कुल 17601 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2020-2021 में माह दिसम्बर तक 10525 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया। जिसकी जानकारी परिवहन आयुक्त को कार्यवाही हेतु समय-समय पर भेजी जाती है।

### 4. ध्वनि स्तर मापन-

बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख नगरों के आवासीय, वाणिज्यिक, शांत तथा औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2019-2020 में प्रदेश में कुल 16193 काउन्ट्स ध्वनि स्तर मापन किये गये एवं वर्ष 2020-2021 में माह दिसम्बर तक कुल 10226 ध्वनि स्तर मापन कार्य किया गया। ध्वनि स्तर मापन की जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष को कार्यवाही हेतु समय-समय पर भेजी जाती है।

## केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त केन्द्र शासन द्वारा भी जल, वायु गुणवत्ता मापन हेतु योजनाये प्रायोजित की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

### 1. राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन.ए.एम.पी.)-

योजना के अंतर्गत राज्य के 15 शहरों के 40 अलग-अलग स्थानों जिसमें आवासीय, औद्योगिक एवं

वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित है, उक्त स्थानों पर सप्ताह में दो बार वायु मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। इस दौरान सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर एवं साथ ही प्रचालक जैसे ओजोन, अमोनिया, निकिल, लैंड, आर्सेनिक, कार्बन मोनोआक्साइड, बैंजीन आदि प्रचालकों का परीक्षण परिवेशीय वायु में किया जा रहा है। एकत्रित एवं विश्लेषित किये गये नमूनों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पैरामीटर	नमूनों की संख्या वर्ष 2019-20	नमूनों की संख्या दिसम्बर 2020 तक
1	सल्फरडाई ऑक्साइड	21321	12903
2	नाइट्रोजन ऑक्साइड	21321	12903
3	पी.एम. 10	10786	6501
4	पी.एम. 2.5	3618	2320
5	ओजोन	14927	8730
6	अमोनिया	18965	12341
7	निकिल	3755	2296
8	लैंड	3867	2323
9	आर्सेनिक	31874	1514
10	कार्बन मोनो ऑक्साइड	4166	4312
11	बैंजीन	154	0
12	बैंजो पायरिन	0	8

### 2. विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)-

यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने, जल गुणवत्ता संबंधित आकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने तथा चुने हुये खतरनाक पदार्थों का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है।

योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 सेम्पलिंग स्थानों से वर्ष 2019-2020 में कुल 50 नमूने तथा वर्ष 2020-2021 में माह दिसम्बर तक 28 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया। प्राप्त परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषित परिणामों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार हेतु कार्य योजना तैयार कर संबंधित विभागों से प्रदूषण स्तर में सुधार हेतु समन्वय कर कार्यवाही की जा रही है।

### 3. भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स)-

यह योजना केन्द्रीय बोर्ड की सहायता से राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। जिसके अंतर्गत वर्ष 2019-2020 में 237 सेम्पलिंग स्थानों से 2168 नमूने तथा वर्ष 2020-2021 में माह दिसम्बर तक कुल 242 स्थानों से 1670 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषित परिणामों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार हेतु कार्य योजना तैयार कर संबंधित विभागों से प्रदूषण स्तर में सुधार हेतु समन्वय कर कार्यवाही की जा रही है।

## पर्यावरणीय अनुसंधान—

बोर्ड के केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2020–21 में राज्य बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत निम्न कार्य किये जा रहे हैं।

### (1) म.प्र. के रीवा शहर शहर के क्लोरीनेटेड पेय जल में ट्राइहेलोमीथेन की उपलब्धता का अध्ययन—

विसंक्रमण पेय जल के उपचार का समीक्षात्मक भाग है व प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों को रोकना भी अति आवश्यक है। विसंक्रमित रसायनों के उपयोग से विसंक्रमित बॉय प्रोडक्ट बनते हैं। ट्राइहेलोमीथेन इसी प्रकार का विसंक्रमित बाय प्रोडक्ट है। यह कैंसर कारक है तथा जलाशयों में इसका निर्माण विसंक्रमित क्लोरीन व कार्बनिक पदार्थों के बीच हुई अभिक्रिया से होता है। इस अध्ययन के अंतर्गत मध्यप्रदेश के रीवा शहर में क्लोरीनेटेड पेय जल में बनने वाले ट्राइहेलोमीथेन का परीक्षण किया जा रहा है।

### (2) मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र देवास में पर्यावरण का विस्तृत अनुश्रवण—

प्रगतिशील देशों की औद्योगिकरण व शहरीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति ने प्राकृतिक व मानव निर्मित पर्यावरण को बहुत प्रभावित किया है। पर्यावरण के उपयुक्त संरक्षण के लिये उचित पर्यावरणीय प्रवृत्ति का होना आने वाली पीढ़ी हेतु आवश्यक है तथा कई संगठनों का ध्यान भी इस मुद्दे ने अपनी ओर आकर्षित किया है। मध्यप्रदेश में ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण 15–20 वर्ष पूर्व हुआ है, इसे ध्यान में रखते हुये म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देवास के औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन के निम्न पर्यावरणीय घटकों का परीक्षण किया जा रहा है।

वायु पर्यावरण (मौसम विज्ञान, परिवेशीय वायु मापन, ध्वनि स्तर मापन, ट्रेफिक पेटर्न इत्यादि)

- ❖ जलीय पर्यावरण (सतही जल एवं भूमिगत जल की गुणवत्ता)
- ❖ मृदा पर्यावरण (जियोलॉजी, हाइड्रोजिओलॉजी, लैंड यूज, सॉलिड वेस्ट जनरेशन व कैरेक्टरिस्टिक)
- ❖ सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण (डेमोग्राफिक प्रोफाईल, आक्युपेशनल स्ट्रक्चर)

### (3) मध्यप्रदेश की चम्बल नदी की बायोमॉनिटरिंग—

बायो-मॉनिटरिंग, परिवर्तनशील जैविकों की प्रस्तावना हेतु जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरचनात्मक व क्रियात्मक बिन्दुओं के परीक्षण के लिये है।

फिजियो-केमिकल तकनीक को परिपूर्ण करने हेतु बायो-मॉनिटरिंग का उपयोग किफायती रूप से किया जा सकता है। बायो-मॉनिटरिंग की सहायता से जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर कई कारणों से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। इन कारणों के अंतर्गत निम्न बिन्दु हैं।

- ❖ गैर मानसूनी समय में जल की अनुपलब्धता।
- ❖ कम ऑक्सीजन की परिस्थिति तथा यूट्रोफिकेशन
- ❖ अधिक फीकल कॉलीफार्म की मात्रा
- ❖ भारी धातुओं की उपस्थिति
- ❖ संवेदनशील प्रजातियों का निष्कासन
- ❖ दिन रात धारा के प्रवाह में बह रहे जलीय जीव प्रदूषण के संपर्क में आते हैं। परिणामस्वरूप जीवों का स्वास्थ्य उस पानी की गुणवत्ता को भी बताता है जिसमें वे रहते हैं। यदि जल का प्रदूषण एक क्रिटिकल कन्सनट्रेशन तक पहुँच गया तो कुछ जीव मर जायेंगे, कुछ स्थानांतरण कर लेंगे व कुछ

रिप्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इस प्रकार वे जीव प्रदूषित क्षेत्र से ओझल हो जायेंगे। मध्यप्रदेश की चम्बल नदी की बायोमॉनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है।

#### **(4) मंडीदीप एवं देवास औद्योगिक नालों में प्रवाहित दूषित जल का टॉक्सिसिटी अध्ययन—**

टॉक्सिसिटी उन संक्षिप्त मापदण्डों में से एक है जो सेम्पल की प्रकृति के विषय में विस्तृत जानकारी देते हैं व निर्णय लेने में सहायता करते हैं।

मछली जलीय खाद्य श्रृंखला की टर्मिनल सदस्य है। पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुरूप मछली बहुत संवेदनशील होती है। यही कारण है कि अपशिष्ट जल के हानिकारक प्रभाव का अध्ययन मछलियों पर किया जाता है। प्रदूषित जल में मछलियों को डालकर 48 घंटे तथा 96 घंटे बाद निरीक्षण की मानक विधि को अपनाया जाता है। टॉक्सिसिटी परीक्षण जलीय गुणवत्ता के परीक्षण व प्रदूषण के स्तर के आंकलन हेतु वरदान की तरह है।

किसी भी प्रकार के अपशिष्ट में टॉक्सिसिटी प्रभावित दूरी व मात्रा पर निर्भर करती है। इस परीक्षण के परिणाम का उपयोग टॉक्सिसिटी उत्पन्न करने वाले कारकों की उस अधिकतम मात्रा हेतु जिससे पर्यावरणीय जीवों को नुकसान न हो का पता लगाने, उस मात्रा को प्राप्त करने व प्रमाणित करने हेतु किया जाता है। मंडीदीप एवं देवास औद्योगिक नालों में प्रवाहित दूषित जल का टॉक्सिसिटी परीक्षण किया जा रहा है।

#### **(5) भोपाल के टेरेस्ट्रियल पर्यावरण (जल/मृदा) का माइक्रोबायोलॉजिकल गुणवत्ता परीक्षण—**

सूक्ष्मजीव पृथ्वी पर जैव विविधता को दर्शाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र की गतिविधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं सभी के जीवन को निर्वाहित करने वाले कारक उपलब्ध कराते हैं। सूक्ष्मजीव पारिस्थितिक तंत्र में कई कार्य करते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा किये जाने वाले ये कार्य बायोजियोकेमिकल चक्र के लिये आवश्यक हैं तथा पृथ्वी को निवास योग्य बनाये रखने में भी सूक्ष्मजीव आवश्यक हैं। अनुवांशिक रूप से शरीर विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान संबंधी विविध सूक्ष्म जीव व सूक्ष्म जीवों के सम्प्रदाय जो टेरेस्ट्रियल पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं। कई प्रकार के विकास, अनुकूलन तथा शरीर विज्ञान संबंधी प्रतिक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश के भोपाल शहर के टेरेस्ट्रियल पर्यावरण में माइक्रोबायोलॉजिकल गुणवत्ता परीक्षण पर अध्ययन कार्य किया जा रहा है।

#### **केन्द्रीय प्रयोगशाला को प्राप्त मान्यताएँ—**

- (एन.ए.बी.एल.) (डी.एस.टी., भारत सरकार) से आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025:2017 (अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली) के अंतर्गत जल और अपशिष्ट जल एवं परिवेशीय वायु पैरामीटर्स के लिए ऐक्रिडिटेशन का नवीनीकरण।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आंकलन श्रृंखला 18001:2007 के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण।

#### **केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा प्रकाशित शोध पत्र—**

1. Bioassay Study of Biomedical Liquid Waste (Treated Effluent) of Bhopal City, Madhya Pradesh, India International Journal of Research And Review Vol.7; Issue: 1; January 2020
2. Study of Ground Water Quality of Mandideep Industrial Area, Madhya Pradesh, India International Journal of Information Research And Review Vol. 07, Issue, 01, pp.6668-6674, January, 2020
3. Air Quality Index of Bhopal City, Madhya Pradesh, India International Journal of Environmental Monitoring And Protection. 2019; 6(1): 1-7.
4. Ambient Air Quality Index Study of Mandideep Industrial Area, Madhya Pradesh, India International

Journal of Research. 2019; 06 (09): 110-120.

5. Recent status of Ambient Air Quality Index of Mandideep Industrial Area, Madhya Pradesh, India
6. International Journal of Information Research And Review .2019;06 (08) :6429-6433
7. Presence of Contamination in Ground Water Around Mandideep Industrial Area, Madhya Pradesh, India International Journal of Advanced Research. 2019; 7 (8): 1-11.
8. Study of Presence of Trihalomethanes in Chlorinated Drinking Water of Bhopal City, Indian Journal of Pure And Applied Biosciences, (2020) 8(3), 83-91
9. Physico-Chemical Study of River Narmada with Special Reference to Eastern Zone, Indian Journal of Pure And Applied Biosciences, (2020) 8(3), 154-161

## बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी : विकास एवं कियान्वयन—

पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों, नियमों एवं अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों को आम जन तक पहुँचाने में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इसी संबंध में कार्यालय से संबंधित जानकारी एवं अन्य कार्यों को वेबसाइट [www.mppcb.nic.in](http://www.mppcb.nic.in) पर प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे नियमित संधारित किया जाता है। बोर्ड के दैनिक कार्यों के सम्पादन हेतु ऑनलाईन सॉफ्टवेयर संचालित है, जिसके द्वारा संस्थाएँ बोर्ड से सम्मति, प्राधिकार एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं।

**M.P. Pollution Control Board**  
XGN - Online Consent Management System

Consent Register TPAV Auto-Renewal Self Certification Format Third Party Audit Certificate HOME

Useful Links  
User Manual [English](#) [Hindi](#)  
Consent Granting Procedure  
Documents reqd for Application  
SOP of inspection  
\*\*\* Notification/Circu ▼  
Select ▼

DEPARTMENT LOGIN APPLICANT LOGIN

**\*\* XGN News Date : 14/Dec/2019 \*\***  
Please to note that module for Authorisation Under Solid Waste Management Rule 2016 is made available in  
The Auto Renewal facility is enabled for Green/Orange

Top 5 R.O. Performers  
RO-Katni  
RO-Rewa  
RO-Jabalpur  
RO-Sagar  
RO-Singrauli

Top 2 Lab Performers  
Lab-Indore  
Lab-Jabalpur

Top 3 Unit Head  
UNH-Sagar  
UNH-Bhopal  
UNH-Chhindwara

Citizen Centric Features  
[XGN Statistics](#)  
[Public Complaints](#)  
[XGN Guidelines](#)  
[Google-Map Guidelines](#)  
[HW Manifest Manual](#)  
[Google-Map](#)

Today's Statistics  
Online Applications = 20  
[ CTE=0 : CCA=20 ]  
e-Outwards = 30  
Consents GRT/REJ=43  
[ GRT=37 : REJ=6 : AMD=0 ]  
Inspections Done = 13

Today's Approval & Rejection(0)

Hits : 4459243

## एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों, नियमों एवं अधिसूचनाओं जैसे:-

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत,
  - 3.1 परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रदूषण एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016
  - 3.2 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
  - 3.3 अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016
  - 3.4 ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
  - 3.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

आदि के अन्तर्गत सम्मति, प्राधिकार एवं रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु एक्सजीएन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में केवल एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। आवेदनकर्ता को एसएमएस अलर्ट के माध्यम से सूचित करने का प्रावधान है। सम्मति/ प्राधिकार/रजिस्ट्रेशन डिजिटल हस्ताक्षर उपरान्त ऑनलाइन प्रदान किये जाते हैं। जन साधारण से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध है। मुख्य पृष्ठ पर निरीक्षण प्रक्रिया, सम्मति प्रदान करने की प्रक्रिया एवं आवेदन करने हेतु जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में संचालित उद्योगों एवं अस्पतालों की मासिक एवं दैनिक सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध है, साथ ही कन्सेट रजिस्टर में सम्मति प्राप्त उद्योगों/संस्थाओं के सम्मति संबंधी जानकारी भी जन साधारण के लिए उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु विगत वर्ष में निम्नानुसार कार्य किये गये हैं :-

1. SSL (Secure Sockets Layer) प्रमाणपत्र एक्सजीएन सॉफ्टवेयर में लागू किया गया।
2. एक्सजीएन सॉफ्टवेयर का मेप-आई.टी. से सिक्युरिटी ऑडिट कराया गया एवं सिक्युरिटी ऑडिट सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया।
3. आवेदन के शीघ्र निपटान के लिये फीस के साथ आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था की गई।
4. बैटरी रजिस्ट्रेशन को एक्सजीएन सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया।
5. आधार वेज्ड ई-साईन फेसिलिटी एक्सजीएन सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया।
6. सेंट्रल इन्सपेक्शन सिस्टम (CIS) मॉड्यूल को एक्सजीएन के साथ जोड़ा गया।
7. सिंगल विन्डो सिस्टम (SWS) का इन्टीग्रेशन एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के साथ किया गया।
8. मेप.आई.टी. द्वारा एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर के वेब पोर्टल तथा डेटाबेस को स्टेट डाटा सेंटर पर रखा गया है। इस हेतु सिक्युरिटी ऑडिट कराया गया।
9. एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतनपत्रक प्राप्त करने की सुविधा दी गई है तथा बोर्ड के टेकनिकल प्रेजेंटेशन, लोक सुनवाई एवं जल तथा वायु मॉनिटरिंग की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर संबंधित शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा आई.डी. पार्सवर्ड के माध्यम से अपलोड कर प्रदर्शित की जाने की सुविधा प्रारंभ की गई है।
10. ऑनलाइन एक्स.जी.एन. सॉफ्टवेयर में Online Hazardous Importer मॉड्यूल का संचालन 17 फरवरी, 2020 शुरू किया गया।
11. ऑनलाइन एक्स.जी.एन. सॉफ्टवेयर में बैटरी डीलर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल का संचालन 05 जून, 2020 को किया गया।



12. ऑनलाईन ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर 01 जुलाई, 2020 से शुरू किया गया।
14. ऑनलाईन लीव मॉड्यूल का संचालन 11 जनवरी, 2021 से ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से शुरू किया गया।

## भाग – चार

### सामान्य प्रशासनिक विषय

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 1. नियुक्ति               | : | 03   |
| 2. समयमान वेतनमान         | : | 00   |
| 3. संस्थापित विभागीय जांच | : | 01 (श्री मन्नालाल पाठक, प्रयोगशाला सहायक)  |
| 4. दायर न्यायालयीन प्रकरण | : | (1) W.P. NO- 23413/19 - श्री विजय किशोर श्रीवास्तव<br>(2) W.P. NO – 17574/18 - श्री उमाशंकर पाण्डेय व अन्य |
| 5. किये गये स्थानांतरण    | : | 35   |

## भाग-पाँच

### अभिनव योजना

#### प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

##### 1. पॉलिथीन की थैलियों/पन्नियों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध-

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा मध्य प्रदेश जैव अनाश्रय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 में संशोधन हेतु 22 मई, 2017 को संशोधन अध्यादेश 2017 लाया गया है। उपरोक्त अध्यादेश के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2/2015/18-5 भोपाल दिनांक 24 मई, 2017 के माध्यम से मध्य प्रदेश जैव अनाश्रय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोकहित में सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर 24 मई, 2017 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।

प्रतिबंध को प्रभावी बनाने हेतु जिला प्रशासन तथा नगरीय निकायों के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक कुल 2750 जन-जागृति अभियान चलाये गये एवं 8245 छापामार कार्यवाही की गयी। अभियान के दौरान लगभग 15.48 मीट्रिक टन प्लास्टिक कैंरी बैग जप्त किये गये तथा नगरीय निकायों द्वारा रु. 24.85 लाख का जुर्माना वसूल किया गया है।

##### 2. सीमेंट उद्योगों में प्लास्टिक कचरे का सहदहन-

वर्तमान में प्रदेश से लगभग 331 मीट्रिक टन प्रतिदिन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 320 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरा पुर्नचक्रण में चला जाता है, किन्तु लगभग 11.00 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरा पर्यावरण में विद्यमान रहता है। प्लास्टिक अपशिष्ट एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें कोयले की अपेक्षा अधिक केलोरीफिक वैल्यू होती है तथा इसे 850 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जलाने से किसी भी तरह की हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। प्लास्टिक के उपरोक्त गुणधर्मों को

दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा प्रदेश के सीमेंट उद्योगों में प्लास्टिक कचरा निष्पादन करने की व्यवस्था कराई गई है जिसके तहत 01/01/2020 से 31/12/2020 के दौरान लगभग 49826 मीट्रिक टन तथा प्रारंभ से आज तक 145968 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का सीमेंट उद्योगों द्वारा सह-दहन किया जा चुका है। सीमेंट उद्योगों में प्लास्टिक कचरे के सह-दहन से लगभग 392000 मीट्रिक टन कोयले की बचत सुनिश्चित हुई है।

### 3. सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं मध्यप्रदेश मार्ग संपर्कता योजना द्वारा प्रदेश की ग्रामीण सड़कों में बिटुमिन के साथ प्लास्टिक कचरे का वर्ष 2014-15 से उपयोग प्रारंभ किया गया था। सड़क निर्माण में 3.75 मीटर चौड़ी सड़क में 4.5 मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर तथा 3.00 मीटर चौड़ी सड़क में 3.5 मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा 01/01/2020 से 31/12/2020 तक 162 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग लगभग 785 किलोमीटर सड़क निर्माण में किया गया है।

## भाग-छः

### प्रकाशन

बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता के अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न ब्रोसर, पेंप्लेट आदि के प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जिंगल, डाक्युमेंट्री फिल्म इत्यादि के माध्यम से पर्यावरण की वर्तमान स्थिति एवं पर्यावरण सुधार के लिये वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है।

## भाग – सात

### राज्य की महिला नीति

राज्य की महिला नीति व कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु डॉ० रीता कोरी, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

## भाग-आठ

### सारांश

राज्य के स्वपोषी विकास को गति देने के उद्देश्य से पर्यावरण नीति बनाई गई है, जिसमें विभिन्न पर्यावरणीय नियमों एवं अधिनियमों का ध्यान रखा गया है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, वाहन प्रदूषण मापन, जल स्रोतों की गुणवत्ता मापन, ऑन-लाईन मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से परिवेशीय वायु गुणवत्ता तथा प्रदूषणकारी उद्योगों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश को औद्योगिक प्रदूषण के खतरे से बचाने हेतु, सभी नवीन उद्योगों को पूर्ण प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था करने एवं अधिकाधिक वृक्षारोपण उपरान्त ही उत्पादन अनुमति दी जाती है।



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
(एप्को)



## भाग – एक

### 1. संरचना

मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको) की स्थापना पर्यावरण क्षेत्र में राज्य सरकार की परामर्शदात्री संस्था के रूप में 5 जून, 1981 को की गयी। एफको सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है, जिसके अध्यक्ष माननीय राज्यपाल तथा उपाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश शासन हैं। प्रदेश की पर्यावरण नीति के क्रियान्वयन में एफको एक परामर्शी संस्था की भूमिका निभाती है। संस्था का प्रबंधन शासी परिषद द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष महानिदेशक एफको हैं। राज्य शासन के वित्त विभाग एवं वन विभाग के सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के साथ ही एक विख्यात पर्यावरणविद् भी शासी परिषद के सदस्य हैं। कार्यपालन संचालक, एफको इसके सदस्य सचिव हैं।

### 2. उद्देश्य

1. राज्य की पर्यावरणीय वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन तैयार करना,
2. प्रदेश में पर्यावरण के प्रति जनजागृति पैदा करना,
3. राज्य की पर्यावरण नीति निर्धारण में राज्य शासन को परामर्श देना,
4. पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भवन निर्माण आकल्पन करना,
5. जैव विविधता से संपन्न क्षेत्रों की पहचान कर परियोजना दस्तावेज तैयार करना

### 3. अधीनस्थ कार्यालय

संगठन का मुख्यालय भोपाल में है। इसकी एक शाखा एफको-ग्रामीण, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर, रीवा में स्थित है।

## भाग – दो

### बजट प्रावधान

संगठन को राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा नियमित रूप से धन राशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है, अपितु आर्थिक सहयोग के रूप में गतिविधि/परियोजना आधारित अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस अनुदान राशि एवं परामर्शी सेवा द्वारा स्वअर्जित राशि से संगठन विभिन्न गतिविधियां संचालित करता है। वर्ष 2020-21 के लिये विभिन्न राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में बजट प्रावधान निम्नानुसार है –

(दिनांक 31.01.2021 की स्थिति में, राशि रू. लाख में)

अन्य शहरी विकास योजनाएं	2020-21 (राज्यांश)	2020-21 (केन्द्रांश)
पर्यावरणीय अनुसंधान प्रशिक्षण, शिक्षण राज्य आयोजना (सामान्य)	480.00	0.00
जल प्रदाय निकायों का पर्यावरण सुधार राज्य आयोजना (सामान्य)	160.00	0.00
इंदिरा गांधी फैलोशिप	8.00	0.00
एन.पी.सी.ए.-001 इन्फ्रास्ट्रक्चर	160.00	0.00
एन.पी.सी.ए.-007 अन्य	160.00	0.00
एन.आर.ए.पी.	0.01	0.00
राज्य पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना	108.00	0.00
राष्ट्रीय हरित कोर योजना	0.00	260.00
बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन योजना	0.00	0.00
राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र	100.00	0.00
राज्य वैटलैंड प्राधिकरण	80.00	0.00
संजय गांधी पर्यावरण मिशन	0.01	0.00
<b>योग – सामान्य योजना मांग संख्या –071-2215</b>	<b>1256.02</b>	<b>260.00</b>

विभिन्न राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं अंतर्गत प्राप्त तथा व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है –

### Project Receipts- Expenditure Statement 2020 - 21 (Rs. In Lakhs)

#### A. State Sector Schemes

S.No.	Project Name	Opening Balance	Received During the Year	Total	Expenditure
1	Urban Water Bodies	685.25	72.00	757.25	128.56
2	Research Trg. & Education	6.45	336.00	342.45	319.60
3	Indira Gandhi Fellowship	21.74	3.60	25.34	1.15
4	SEIAA & SEAC	0.06	48.60	48.66	114.82

S.No.	Project Name	Opening Balance	Received During the Year	Total	Expenditure
5	MP CDMAgency	93.53	45.00	138.53	30.70
6	VanAdhikarAdhiniyam	39.73	0.00	39.73	0.00
7	S K M C C	133.70	56.00	189.70	25.41
8	Shivana River, Mandsour	71.99	0.00	71.99	59.77
	<b>Total</b>	<b>1052.45</b>	<b>561.20</b>	<b>1613.65</b>	<b>680.01</b>

#### B. Central Sponsored Schemes (National River/Lake Conservation Plan)

S. No.	Project Name	Opening Balance	Re-ceived Central Govt.	Re-ceived State Govt.	Total	Expen-diture
1	NLCP Sagar Lake, Sagar	368.76	0.00	0.00	368.76	0.00
2	NLCP Shivpuri Lake, Shivpuri	1179.42	0.00	0.00	1179.42	500.00
3	NRCP Beehar River, Rewa	1025.00	0.00	0.00	1025.00	0.07
4	NRCP Narmada River, Hoshangabad	1161.65	0.00	0.00	1161.65	0.00
5	NRCP Mandakini River, Chitrakoot	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00
6	Sirpur lake,Indore	190.13	0.00	0.00	190.13	2.58
7	Sindh Sagar, Ishagarh, Ashok Nagar	331.00	0.00	0.00	331.00	104.64
8	Bhojwet Land Project	287.37	0.00	0.00	287.37	0.09
9	Amrit Sagar Talab Ratlam	0.00	0.00	455.47	455.47	400.00
	<b>Total</b>	<b>4543.48</b>	<b>0.00</b>	<b>455.47</b>	<b>4998.95</b>	<b>1007.38</b>

#### C. Central Sector Schemes

S. No.	Project Name	Opening Balance	Received During the Year	Total	Expenditure
1	National Green Crops (NGC-SAP)	273.58	20.00	293.58	587.00
2	MAP-AABR 2015-16	0.00	0.00	0.00	0.45
2	MAP-AABR 2019-20	32.39	0.00	32.39	52.20
4	MAP Pachmarhi B R 17-18	0.00	0.00	0.00	4.08
	<b>Total</b>	<b>305.97</b>	<b>20.00</b>	<b>325.97</b>	<b>643.73</b>

#### D. Other Schemes

S. No.	Project Name	Opening Balance	Received During the Year	Total	Expenditure
1	EPCO Climate Smart Village	- 4.70	0.00	- 4.70	10.56
2	D S T	42.41	0.00	42.41	27.65
3	Traditional Water Supply, Indore	88.14	0.00	88.14	0.003
4	Traditional Water Supply, Burhanpur	23.80	0.00	23.80	10.00
5	SAP on Climate Change	1.24	0.00	1.24	1.04
	<b>Total</b>	<b>150.89</b>	<b>0.00</b>	<b>150.89</b>	<b>49.253</b>

## भाग-तीन

### संपादित की जा रही योजनाएँ व कार्य

#### 1. बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन योजना

**मुख्य उद्देश्य :** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के मानव एवं बायोस्फियर रिजर्व कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के जैवविविधता से सम्पन्न क्षेत्रों की पहचान कर उनके संरक्षण हेतु बायोस्फियर रिजर्व स्थापित किये जा रहे हैं। जैव विविधता से सम्पन्न क्षेत्रों के इनसीट्यू (IN SITU) अर्थात् प्राकृतिक स्थल पर ही संरक्षण एवं प्रबंधन करना, स्थानीय लोगों से जुड़ी विकास योजनाओं तथा प्रशिक्षण एवं शिक्षण को बढ़ावा देना है जिसके अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा देना जिससे जैव विविधता का ह्रास कम हो सके, स्थानीय रहवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा उनके सांस्कृतिक विरासत को भी बनाये रखा जा सकेगा।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 18 बायोस्फियर रिजर्व चिन्हित किये गये हैं। इनमें निम्नानुसार तीन बायोस्फियर रिजर्व म.प्र. राज्य में स्थित हैं :


क्र.	बायोस्फियर रिजर्व	क्षेत्र	संबंधित जिले	भारत सरकार द्वारा बायोस्फियर रिजर्व घोषित किये जाने की दिनांक
1.	पचमढ़ी	4981.72 वर्ग. कि.मी.	होशंगाबाद, बैतूल एवं छिन्दवाडा	03.03.1999
2.	अचानकमार - अमरकंटक	3835.51 वर्ग कि.मी.	अनूपपुर एवं डिण्डोरी (म.प्र.), बिलासपुर (छ.ग.)	30.03.2005
3.	पन्ना	2998.98 वर्ग कि.मी.	पन्ना एवं छतरपुर	25.08.2011

- **योजना प्रबंधन :** इन तीनों बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एफको को राज्य शासन द्वारा नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है। बायोस्फियर रिजर्व में परियोजना के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति, योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आकलन समिति एवं जिला स्तर पर प्रबंधन एवं क्रियान्वयन हेतु संबंधित जिलों के कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित है। जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से एवं विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रबंधन कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।
- **पन्ना बायोस्फियर रिजर्व को यूनेस्को के WNBDR पर नामांकित करवाये जाने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित करवाये जाने हेतु :** उल्लेखनीय है कि पचमढ़ी एवं अचानकमार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व पूर्व से ही यूनेस्को के WNBDR पर नामांकित है। इसी प्रक्रिया में पन्ना बायोस्फियर रिजर्व को भी यूनेस्को के छठे पर नामांकित करवाये जाने हेतु भारत सरकार की निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुरूप प्रतिवेदन तैयार कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से UNESCO प्रेषित किया गया यूनेस्को द्वारा पन्ना बायोस्फियर रिजर्व को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर WNBDR पर नवंबर माह 2020 में नामांकित किया गया है।




● भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अचानकमार-अमरकंटक (म.प्र. भाग) प्रबंधन कार्ययोजना योजना :

परियोजना का नाम	भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति राशि (रूपये)	कार्य / गतिविधियां
● अचानकमार-अमरकंटक (म.प्र. भाग) बी.आर. प्रबंधन कार्ययोजना।	रु. 188.63 लाख की स्वीकृति माह नवंबर 2019 में प्रदान की गई है।	इस योजना में अनूपपुर एवं डिण्डौरी जिले के अंतर्गत प्राकृतिक रहवास का सुधार, सकंटापन्न एवं सकंटग्रस्त प्रजाति तथा औषधी पौधों का रोपण व संवर्धन कार्य, स्थानीय समुदायों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु मछली पालन कार्य, तालाब निर्माण, कार्य प्रगति पर है। आयोजन आदि कार्य / गतिविधियों का क्रियांवयन कार्य प्रगति पर है।
● पन्ना बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन कार्य योजना	रु. 193.51,400 लाख की स्वीकृति माह नवंबर 2020 में प्राप्त है।	योजना में पन्ना एवं छतरपुर जिले के अंतर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक रहवास का सुधार, सकंटापन्न एवं सकंटग्रस्त प्रजाति तथा फलदार पौधों को रोपड़, स्थानीय समुदायों के उत्थान हेतु एक्वा कल्चर, नवीकरण ऊर्जा, पशु चिकित्सा एवं स्कूली छात्रों के लिये प्रकृति दर्शन शिविर इत्यादि कार्य / आयोजन जिले के संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा।




Zonation Map of Panna Biosphere Reserve



Zonation Map of Achanakmar-Amarkantak Biosphere Reserve

- पचमढी बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र का “Periodic Review” कार्य : उपरोक्त कार्यों के साथ ही भारत सरकार के निर्देशानुसार पचमढी बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को को World Network of Biosphere Reserven (WNBR) पर चिन्हित किये जाने के दस वर्ष उपरान्त मार्गदर्शिका मे निहित प्रावधानों के अनुरूप “Periodic Review कार्य के अन्तर्गत संगठन द्वारा लैण्ड यूज / लैण्ड कवर का GIS & Satellite Data आधारित अध्ययन कार्य म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं MAP-IT के तकनीकी सहयोग से सम्पादित किया जा रहा है। इसी कार्य मे पचमढी बायोस्फियर रिजर्व के अन्तर्गत होशंगाबाद, बैतूल एवं छिन्दवाड़ा जिले में सम्बंधित क्रियान्वयन संस्थाओं से परामर्श उपरान्त आगामी छः माह में राज्य शासन के माध्यम से प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाना प्रस्तावित है।



- कान्हा, बाधवगढ़ एवं पेंच क्षेत्र को बायोस्फियर रिजर्व चिन्हित करवाये जाने हेतु प्रस्ताव : राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी द्वारा निर्णित/ निर्देशित अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाही के परिपालन में कान्हा, बाधवगढ़ एवं पेंच क्षेत्र को बायोस्फियर रिजर्व चिन्हित करवाये जाने हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया। भारत सरकार द्वारा इस कार्य हेतु माह नवंबर 2019 में राशि रु. 50.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाये जाने हेतु संगठन द्वारा MPCST & MAP-IT संस्थाओं द्वारा GIS तकनीक से एवं संबंधित जिलों के टाईगर रिजर्व/ राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र संचालक, वन विभाग, कृषि, उद्यानिकी, पशुचिकित्सा इत्यादि विभागों से परामर्श कर (GIS तकनीक पर आधारित) In House योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

## 2. राष्ट्रीय हरित कोर योजना

पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित कोर योजना (एन.जी.सी.) विद्यालयीन छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने की एक अभिनवकारी योजना है। योजनांतर्गत यह कार्यक्रम प्रदेश के 51 जिलों में 250 प्रति जिला के मान से 12750 इको क्लब विद्यालयों एवं 100 महाविद्यालयों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान योजना अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं :-

क्र.	कार्यक्रम का नाम	स्थान	प्रतिभागी संख्या
1	विभिन्न पर्यावरण दिवसों जैसे विश्व वसुन्धरा दिवस, जैव विविधता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व मरुस्थलीयकरण दिवस, ओजोन क्षरण दिवस, वेटलैण्ड दिवस एवं जैवविविधता संरक्षण अभियान तथा पर्यावरण से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किये गये।	म.प्र. के समस्त जिले एवं विकास खण्ड स्तर पर।	10000

क्र.	कार्यक्रम का नाम	स्थान	प्रतिभागी संख्या
2	स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन ईको क्लब विद्यालयों, महाविद्यालयों द्वारा किया गया। जिसमें स्वच्छता विषय पर ऑनलाइन वेबीनार क्विज एवं जनजागरूकता प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।	म.प्र. के जिले एवं विकास खण्ड स्तर पर।	450
3	स्वच्छता कार्य योजना अंतर्गत 18 विद्यालयों, महाविद्यालयों में विशेष स्वतच्छता कार्यक्रमों का आयोजन कर जनजागरूकता लाई गई साथ ही कचरा प्रबंधन हेतु 18 वर्मीकम्पोस्ट पिट का निर्माण किया गया।	म.प्र. के जिले एवं विकास खण्ड स्तर पर।	200
4	ईको क्लब विद्यालयों, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा दीपावली के अवसर पर "हरित दीवाली स्वस्थ दीवाली" प्रतियोगिता का आयोजन <a href="http://www.mp.mygov.in">www.mp.mygov.in</a> पोर्टल के माध्यम से किया गया। एफको द्वारा दीवाली के अवसर पर विद्यार्थियों, प्राध्यापकों के लिए ऑनलाइन वेबीनार एवं क्विज का आयोजन किया गया।	ऑनलाइन एफको, भोपाल।	185 1526
5	राष्ट्रीय हरित कोर योजना के अंतर्गत ईको क्लब प्रभारी शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं जनमानस के लिये दो दिवसीय पर्यावरण जन जाग्रती शिविर का आयोजन किया गया।	ग्राम – सुवासरा जिला – मंदसौर	328
6	एफको एवं विप्रो के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय हरित कोर योजना अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से ईको क्लब विद्यालयों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर जल, जैव विविधता संरक्षण, कचरा प्रबंधन एवं कोविड-19 संबंधी विषयों पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा जमीनी स्तर पर गतिविधियों का क्रियान्वयन किया गया।	म.प्र. के समस्त जिले एवं विकास खण्ड स्तर पर।	75
7	पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पेट्रोलियम (PCRA) एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर "सक्षम राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2020-21" का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। जिसमें म.प्र. के ईको क्लब विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता की गई।	ऑनलाइन माध्यम से	लगभग 100
8	पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चालये जा रहे ग्रीन गुड डीड्स (हरित अच्छी आदतों) अभियान अंतर्गत प्रदेश स्तर पर ईको क्लब सदस्यों को लगातार जागरूक किया जा रहा है।	म.प्र. के समस्त जिले एवं विकास खण्ड स्तर पर।	लगभग 3000
9	पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार तथा यू.एन.डी.पी. द्वारा चलाये जा रहे टाइड टर्नर अभियान अंतर्गत ईको क्लब शिक्षकों, विद्यार्थियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया तथा गतिविधियों को ऑनलाइन भेजा रहा है।	म.प्र. के समस्त जिले एवं विकास खण्ड स्तर पर।	500
10	पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार तथा नासा के ग्लोब कार्यक्रम में प्रदेश के 150 ईको क्लब विद्यालयों के प्रभारी शिक्षकों को प्रशिक्षित कर ग्लोब किट प्रदाय की गई। ग्लोब किट के माध्यम से पर्यावरण संवर्धन के उद्देश्यों से प्रकृति के विभिन्न तत्वों का अवलोकन एवं आंकलन विद्यार्थियों के माध्यम से किया जा रहा है।	म.प्र. के समस्त जिले एवं विकास खण्ड स्तर पर।	150



हरित दिवाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम  
कटनी



ग्लोब कार्यक्रम अंतर्गत विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण,  
भोपाल



स्वच्छता पर हस्ताक्षर अभियान  
सुवसरा-मंदसौर



ईको विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता संदेशों का प्रदर्शन,  
सुवसरा-मंदसौर



ईको क्लब महाविद्यालय द्वारा वर्मीकम्पोस्ट पिट का निर्माण एवं खाद वितरण, रतलाम



विश्व वेटलेण्ड दिवस पर ऑनलाइन प्रशिक्षण, भोपाल



ईको क्लब विद्यार्थियों तथा जनमानस के साथ पॉलिथिन के विरुद्ध अभियान, खण्डवा



पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, शाजापुर

### 3. राष्ट्रीय जलीय परिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण की योजना (NPCA)

#### शिवपुरी स्थित झीलों के पर्यावरण उन्नयन एवं संरक्षण संबंधी परियोजना

शिवपुरी शहर स्थित झीलों के पर्यावरण उन्नयन एवं संरक्षण परियोजना भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शिवपुरी शहर स्थित झीलों के पर्यावरण उन्नयन एवं संरक्षण परियोजना वर्ष 2007 में स्वीकृत की गई। जिसके तृतीय पुनरीक्षण उपरांत योजना की पुनरीक्षित/ वर्तमान परियोजना लागत राशि रु. 111.55 करोड़ है, जिसमें केन्द्रांश राशि रु. 29.04 करोड़ तथा राज्यांश राशि रु. 82.51 करोड़ है। योजनांतर्गत अब तक लगभग 85: कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य कार्य प्रगति पर है।

- योजनांतर्गत नॉन कोर कार्य, स्टाप डेम, सुलभ शौचालय, आदि पूर्ण हो चुके हैं।
- कोर कार्य में सीवरेज नेटवर्किंग के शेष कार्य, 20 एम.एल.डी एस.टी.पी के शेष कार्य, पावर कनेक्शन व ट्रायल, 1100 एम.एम. आर.सी.सी.पाईप 200 मीटर, सड़कों की मरम्मत एन.एच.ए.आई. द्वारा, नाला ट्रेपिंग निर्माण, आदि कार्य प्रगति पर है।

#### सिंध सागर तालाब ईसागढ़, अशोकनगर के पर्यावरणीय उन्नयन एवं संरक्षण परियोजना

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सिंध सागर तालाब ईसागढ़, अशोकनगर के पर्यावरणीय उन्नयन एवं संरक्षण की परियोजना वर्ष 2014 में स्वीकृत की गई। परियोजना की कुल लागत राशि रु. 10.78 करोड़ है, जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत राशि 6.47 करोड़ तथा शेष 40: राज्यांश राशि रु. 4.31 करोड़ है।

योजनांतर्गत अब तक लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य कार्य प्रगति पर है।

#### सीता सागर तालाब, दतिया की संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सीता सागर तालाब, दतिया की संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु एकीकृत प्रबंध योजना वर्ष 2021 में स्वीकृत की गई है। योजना की कुल लागत राशि रु. 13.85 करोड़ है, जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत राशि 8.31 करोड़ तथा शेष 40 प्रतिशत राज्यांश राशि रु. 5.54 करोड़ है। योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण विभाग, राज्य शासन एवं क्रियान्वयन संस्था नगर पालिका परिषद दतिया के मध्य अनुबंध की प्रक्रिया प्रचलन में है।

#### शिवना नदी, मंदसौर

शिवना नदी, मंदसौर के शुद्धिकरण एवं पर्यावरणीय उन्नयन का कार्य राज्य शासन द्वारा एफ्को को आवंटित किया गया है। एफ्को द्वारा शिवना नदी के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु रु. 99.62 करोड़ लागत की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को भेजा गया है।

### 4. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वेटलैण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 अधिसूचित किए गए हैं जिसके परिपालन में राज्य शासन द्वारा राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण का गठन जनवरी 2018 में किया गया। पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन प्राधिकरण का नोडल विभाग है एवं एफ्को सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। माननीय मंत्री, पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव, म. प्र. शासन उपाध्यक्ष हैं। कार्यपालन संचालक, एफ्को प्राधिकरण के सदस्य सचिव हैं। राज्य शासन द्वारा 05 विषय विशेषज्ञ एवं 03 सदस्यों का सहचयन भी किया गया है।

## राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के अंतर्गत किए गए कार्य:-

- भारत सरकार के वेटलैण्ड रिजुविनेशन फेस-II कार्यक्रम अंतर्गत राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों को तकनीकी सहायता हेतु नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया है।
  - वेटलैण्ड रिजुविनेशन फेस-II कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित 120 वेटलैण्ड्स में से 44 वेटलैण्ड्स के हेल्थ कार्ड तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। शेष वेटलैण्ड्स की जल गुणवत्ता की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं एफको की प्रयोगशाला द्वारा की जा रही है।
  - प्रदेश के चिन्हित वेटलैण्ड्स के एकीकृत संरक्षण एवं प्रबंधन योजना (IMP) तैयार करवाने हेतु 17-18 नवम्बर 2020 में कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त के संबंध में धार शहर के मुंज सागर, देवी सागर एवं धूप सागर (वेटलैण्ड कॉम्प्लेक्स) की एकीकृत प्रबंधन योजना, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, एफको को प्रेषित की गई। इस प्रबंधन योजना को वित्तीय सहायता हेतु भारत सरकार को भेजा जाना प्रस्तावित है।
  - भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 09 महत्वपूर्ण वेटलैण्ड को संभावित रामसर साइट के रूप में नोटिफिकेशन के लिए चयनित किया गया। प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया एवं सिरपुर वेटलैण्ड इंदौर की रामसर साइट इन्फॉर्मेशन शीट (RSIS) की जानकारी तैयार की गई।
  - विश्व वेटलैण्ड दिवस संपूर्ण विश्व में वेटलैण्ड संरक्षण एवं जन-सामान्य को जागरूक करने हेतु प्रति वर्ष 02 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष रामसर कन्वेंशन ने विश्व वेटलैण्ड्स दिवस की थीम "वेटलैण्ड्स एवं जल" निर्धारित की गई।
  - प्राधिकरण द्वारा वेटलैण्ड्स दिवस पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पर्यावरण मंत्रीजी, म.प्र. शासन उपस्थित हुए तथा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म. प्र. शासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी, पर्यावरणविद् एवं जन-सामान्य ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
  - विश्व वेटलैण्ड दिवस पर प्रदेश के चिन्हित वेटलैण्ड्स के हेल्थकार्ड्स माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण विभाग एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा अनावरण किया गया।
  - विश्व वेटलैण्ड्स दिवस पर लिम्नोलॉजी विभाग, बरकतउल्लाह वि०वि० के साथ संयुक्त रूप से वेटलैण्ड विषय पर व्याख्यान आयोजित किया जिसकी अध्यक्षता कुलपति डा. आर.के. राव द्वारा की गई।
  - राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, एफको द्वारा विश्व वेटलैण्ड्स दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के समस्त जिलों में जन-जागरूकता कार्यक्रम के लिए जिला कलेक्टर्स को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें भोपाल, धार, इन्दौर, शाजापुर, रतलाम, शिवपुरी आदि जिलों ने जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।
  - विश्व वेटलैण्ड्स दिवस के अवसर पर "सेल्फ गाईडेड वॉक" वन विहार, भोज वेटलैण्ड पर आयोजित की गई।
5. भारत सरकार MoEF&CC द्वारा वेटलैण्ड्स/झील संरक्षण हेतु National Plan for Conservation of Aquatic Eco-systems (NPCA) योजना संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत तालाबों/झीलों/वेटलैण्ड्स के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु नाला डायवर्जन, सीवेज नेटवर्किंग, सीवेज ट्रीटमेंट, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, फेन्सिंग, लॉ-कॉस्ट सेनिटेशन, फ्लोटिंग फाउन्टेन, जल-गुणवत्ता मॉनीटरिंग, लेक फ्रंट डेवलपमेंट एवं जन-जागरूकता के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। योजनांतर्गत 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा एवं 40% राज्य शासन द्वारा वहन की जाती है। वर्तमान में इस योजनांतर्गत भोज वेटलैण्ड, भोपाल, सिरपुर वेटलैण्ड, इन्दौर संचालित है।

अमृत सागर तालाब, रतलाम का क्रियान्वयन किया जाना है। राज्य शासन द्वारा उक्त स्वीकृत योजनाओं हेतु राज्य वेटलैण्ड, प्राधिकरण एफको को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया एवं संबंधित नगरीय निकायों द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

### **सिरपुर वेटलैण्ड, इन्दौर संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना**

सिरपुर वेटलैण्ड, इंदौर के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु वार्षिक प्लान 2019–20 राशि रु. 3.37 करोड़ की स्वीकृति दी गई। उक्त परियोजना का क्रियान्वयन नगर निगम, इन्दौर द्वारा किया जा रहा है। नगर पालिक निगम, इन्दौर को राशि रु. 2.19 करोड़ विमुक्त किए गए। परियोजनांतर्गत वेटलैण्ड किनारे फेंसिंग, स्ट्रेन्थनिंग ऑफ बंड्स, एक्वेटिक वीड रिमूवल एवं वीड हार्वेस्टर, शोध कार्य एवं जन-जागरूकता आदि कार्य किये जा रहे हैं।

### **भोज वेटलैण्ड, भोपाल संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना**

भोज वेटलैण्ड रामसर साइट (Upper & Lower Lake), भोपाल के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु वार्षिक प्लान 2019–20 राशि रु. 4.32 करोड़ की स्वीकृति दी गई। उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 3.78 करोड़ क्रियान्वयन संस्था नगर पालिक निगम, भोपाल को विमुक्त किए गए हैं। परियोजनांतर्गत फाउन्टेन लगाना, नालों से गाद हटाना, पुराने घाटों की मरम्मत एवं बाउण्ड्री वॉल का निर्माण, फ्रिन्ज एरिया का विकास, जीवन रक्षक दल के लिए फाईबर ग्लास, रेनफॉर्ड उपकरण, गार्बेज कन्टेनर की स्थापना, छोटे तालाब पर लाइट्स लगाना, जीआईएस तकनीक से बड़े तालाब की मॉनीटरिंग करना आदि कार्य किए जा रहे हैं।

### **अमृत सागर, रतलाम संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना**

अमृत सागर तालाब, रतलाम के पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन योजना हेतु भारत सरकार द्वारा राशि रु. 21.00 करोड़ स्वीकृति दी गई है। परियोजना की क्रियान्वयन संस्था नगर पालिक निगम, रतलाम है। परियोजना में निम्न कार्य प्रस्तावित हैं – डीसिल्टिंग, डि-वीडिंग, नालों का डायवर्जन, कंस्ट्रक्टेड वेटलैण्ड्स, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वीड हार्वेस्टर, फ्रिन्ज एरिया विकास, फाउन्टेन, जल गुणवत्ता की जांच, वॉच टॉवर निर्माण, जन-जागरूकता आदि कार्य प्रस्तावित हैं।


माननीय मुख्यमंत्री म. प्र. शासन द्वारा अमृत सागर, तालाब, रतलाम के संरक्षण एवं प्रबंधन योजना का भूमिपूजन 04 फरवरी 2021 को किया गया। योजना की प्रथम किस्त के रूप में रु. 4.00 करोड़ का धनादेश आयुक्त, नगर पालिक निगम, रतलाम को प्रदान किया गया।



## राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, एफ्को एवं संचालित परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों के छायाचित्र



विश्व वेटलैण्ड्स दिवस पर सेल्फ गाइडेड वॉक वन विहार, भोज वेटलैण्ड पर आयोजित की गई



वेटलैण्ड हेल्थकार्ड्स का अनावरण



बरकतउल्लाह वि.वि. द्वारा आयोजित व्याख्यान



अमृत सागर वेटलैण्ड, रतलाम परियोजना का माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन द्वारा शुभारंभ एवं प्रथम किश्त राशि रु. 4.00 करोड़ का चेक आयुक्त नगर पालिक निगम, रतलाम को प्रदान किया



## राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, एफको एवं संचालित परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों के छायाचित्र



वेटलैण्ड हेल्थ कार्ड के संबंध में जिलों में स्थित वेटलैण्ड्स की जल गुणवत्ता की जांच हेतु एफको की लैब द्वारा की जा रही है।

### 6. इंदिरा गांधी फ़ैलोशिप

राज्य शासन द्वारा एफको के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में शोध अध्ययन हेतु प्रदेश के निवासियों जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है को इंदिरा गांधी फ़ैलोशिप प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी फ़ैलोशिप के अंतर्गत चयनित व्यक्ति को दो वर्ष के लिए प्रतिमाह राशि रु. 25,000/- फ़ैलोशिप तथा कन्टिन्जेन्सी के रूप में कुल राशि रु. 1.00 लाख प्रदान की जाती है। इस वर्ष ज्यूरी समिति की अनुशंसा उपरांत स्थाई अनुमोदन समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक प्रदान की गई फ़ैलोशिप की जानकारी –

क्र.	वर्ष	चयनित आवेदक का नाम	शोध कार्य का शीर्षक	वर्तमान स्थिति
1.	2015-16	Shri Manglesh Jawalkar Department of Environmental Science & Limnology, Barkatullah University, Bhopal	Role of Macrophytes in reducing the Bacterial load in two Water bodies of different Tropic Status	Work Completed, Final Report to be submitted by shri Manlesh Jawalkar
2.	2016-17	Ms. Nancy Soni Department of Civil Engineering, Jaypee University of Engineering And Technology, Guna	Utilization of Manufactured Sand from Construction And Demolition Waste in High Strength Concrete	Work Almost completed. Final report under preparation.
3.	2017-18	Ms. Farhat Khan Department of Botany, School of Biological Sciences, Dr. Hari Singh Gour Vishwavidyalaya, Sagar	Developing Invasion Resistant Soil by Changing Pattern of Nutrient Management And Arbuscular Mycorrhizal Fungal Partnership	Research work continued
4.	2018-19	Approval of Sanction Committee of the State Government is Awaited		
5.	2019-20			
6.	2020-21	Proposal is submitted for receiving Application for Indira Gandhi Fellowship 2020-21		

## 7. एफको पर्यावरण अध्ययन संस्थान (EPCO-Institute of Environmental Studies)

एफको द्वारा एफको इन्स्टीट्यूट ऑफ एन्वायरमेंटल स्टडीज की स्थापना पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास, ज्ञान वर्धन एवं विभिन्न वर्गों में जन जागरूकता एवं जागृति पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 में की गई। पीजीडीईएम कोर्स एक वर्ष की अवधि का दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित है जिसमें नवीन स्नातको तथा सेवारत कर्मियों को छात्रों के रूप में प्रवेश दिया जाता है। एफको इन्स्टीट्यूट द्वारा विभिन्न हितधारकों के लिये विभिन्न लघु एवं दीर्घ कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाती हैं।

अकादमिक वर्ष 2020-21 में पीजीडीईएम कोर्स का 9वां बैच संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष 95 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तथा शिक्षा क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के दृष्टिगत पीजीडीईएम पाठ्यक्रम को पूर्णतः ऑन लाईन करने की दिशा में भी कार्य आरंभ लिया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां अभी तक आयोजित की जा चुकी हैं –

क्रं.	विवरण	तारीख / अवधि	के लिये
1.	अकादमिक समिति बैठक 2020-21	29 जून 2020	अकादमिक समिति
2.	पी.जी.डी.ई.एम. 2019-20 परीक्षा प्रक्रिया	20 जून 2020	पी.जी.डी.ई.एम. छात्र
3.	प्रवेश प्रक्रिया पी.जी.डी.ई.एम. 2020-21	22 जुलाई से अक्टूबर 2020	पी.जी.डी.ई.एम. छात्र
4.	पी.जी.डी.ई.एम. 2019-20 परीक्षा	30 सितंबर – 3 अक्टूबर 2020	पी.जी.डी.ई.एम. छात्र
5.	पी.जी.डी.ई.एम. 2019-20 परिणाम	19 अक्टूबर 2020	पी.जी.डी.ई.एम. छात्र
6.	पी.जी.डी.ई.एम. 2020-21 – प्रथम ऑनलाईन शैक्षणिक सत्र	27 अक्टूबर से 1 दिसंबर 2020	पी.जी.डी.ई.एम. छात्र
7.	पी.जी.डी.ई.एम. 2020-21 – द्वितीय ऑनलाईन शैक्षणिक सत्र	28 दिसंबर 2020 से 28 जनवरी 2021	पी.जी.डी.ई.एम. छात्र
8.	पी.जी.डी.ई.एम. 2020-21 हेतु असाइनमेंट जमा करना	निरंतर	पी.जी.डी.ई.एम. छात्र
9.	पी.जी.डी.ई.एम. 2020-21 हेतु प्रोजेक्ट प्रतिवेदन जमा करना	निरंतर	पी.जी.डी.ई.एम. छात्र

## 8. राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र, एफको

राज्य शासन ने जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को रेखांकित करते हुए प्रादेशिक स्तर पर कार्य करने हेतु एफको को “स्टेट डेसिग्नेटेड एजेंसी” का दायित्व सौंपा है। एफको में राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित ज्ञान का सृजन करना, अध्ययनों की जानकारी का संकलन करना एवं इसका सरलीकरण कर विभिन्न हितधारकों को प्रसारित करना है। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन मिशन के अंतर्गत एफको को राज्य इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है तथा इस हेतु वार्षिक अनुदान स्वीकृत किया है।

### परियोजनाएं

केन्द्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में परियोजनाओं का संचालन एफको द्वारा किया जा रहा है :-

**क्लाइमेट स्मार्ट विलेज परियोजना** : केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा "नेशनल एडाप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज" (NAFCC) के अंतर्गत स्वीकृत है। परियोजना का क्रियान्वयन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना की लागत राशि रु 24.87 करोड़ है। परियोजना में बीज एवं फसल प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, मृदा पोषक तत्व प्रबंधन, मौसम पूर्वमान एवं कृषि मौसम सलाहकार आधारित खेती तथा जलवायु परिवर्तन विषय पर प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास से संबंधित गतिविधियाँ मुख्य रूप से शामिल हैं। परियोजना का क्रियान्वयन जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील तीन जिले राजगढ़, सीहोर एवं सतना के 20-20 (कुल 60) गांवों में किया जा रहा है। भारत शासन द्वारा परियोजना अवधि 2 वर्ष (अगस्त 2022 तक) बढ़ायी गयी है एवं राजगढ़, सीहोर एवं सतना जिलों के 100-100 गांवों को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

1. परियोजना अंतर्गत लाइन्ड फार्म पौड का निर्माण एक मुख्य गतिविधि है जिसमें कुल किसानों के खेत पर 161 तालाब निर्मित किये गए हैं। किसानों द्वारा सिंचाई एवं मछली पालन में इनका उपयोग किया जा रहा है।
2. सतना एवं सीहोर के 20-20 गांवों के किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन गतिविधि के अंतर्गत नरवाई जलाने से रोकने के लिए कार्यशालाये आयोजित की गयी एवं फसल अवशेष प्रबंधन की तकनिको जैसे - हेप्पी सीडर, रोटा वेटर एवं वेस्ट डी कम्पोजर के लिये आर्थिक एवं तकनिकी सहायता प्रदान कर नरवाई का प्रबंधन किया गया।
3. कृषि वानिकी के अंतर्गत लगभग 76,000 पौधों का किसानों को वितरण किया गया। किसानों द्वारा खेतों की मेड पर पौध रोपण किया गया।
4. मक्का, धान एवं गेहूँ की फसल में यूरिया के अधिक मात्रा एवं अनावश्यक प्रयोग को कम कर पौधों के पत्ती के रंग के आधार पर आवश्यक मात्रा के निर्धारण हेतु किसानों को लीफ कलर चार्ट वितरित किये गए एवं इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
5. शेष गतिविधियों के अंतर्गत किसानों को सूखा सहनशील किस्मों के बीजों का वितरण, जैव उर्वरकों का वितरण एवं जल संरक्षण के कार्य किये गए।
6. ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत धान की खेती में पानी, श्रमिक, मशीन व्यय तथा अन्य लागत बचाने के उद्देश्य से सीहोर एवं सतना जिलों में धान की सीधी बुवाई पद्धति से खेती करने हेतु सहायता एवं प्रशिक्षण दिया गया।
7. चयनित 60 गांवों के 360 किसानों के खेतों से मिट्टी के सेम्पल के परीक्षण के आधार पर विस्तृत soil health card तैयार किया गया। मिट्टी की जाँच के आधार पर फसलवार अनुसंशाए संबंधित गांवों के किसानों को प्रेषित की जा रही है।

